बिहार सरकार

बिहार गजेटियर्स

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना

"बिहार के जल निकायों के राज्य–स्तरीय एवं जिला–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस" "STATE LEVEL AND DISTRICT LEVEL (CIRCLE WISE) GAZETTEER-CUM-ATLAS OF WATER BODIES OF BIHAR" के मानचित्रण, डिजाइनिंग, प्रकाशन एवं मुद्रण का कार्य (अनुक्रमणिका सहित) के लिए प्रस्ताव–सह–रुचि की अभिव्यक्ति हेतु अनुरोध

निविदा–प्रपत्र

निविदा अधिसूचना संख्या : 03/2025–26

टेलीफोन नंबर: 9470092436/9934400209

ई–मेल : revgazetteerbihar@gmail.com

वेबसाइट : state.bihar.gov.in/lrc

26.02.26

26/02/2026

63

विषय सूची

खंड 1: परिचय 5

अनुभाग 2: प्रस्ताव हेतु अनुरोध

2.1. परियोजना का उद्देश्य 5

2.2. परियोजना की आवश्यकता 6

2.3. कार्य विवरण (SOW) 6

2.4. प्रदाय प्रकाशन का विवरण 6

2.5. कार्य का दायरा 7

2.6. निविदादाता की योग्यता 7

2.7. वित्तीय योग्यता 8

2.8. मुद्रण 8

2.9. निविदा मूल्य और प्रक्रिया 8

2.10. RFP अनुसूची : महत्वपूर्ण तिथियाँ (NIT: निविदा आमंत्रण सूचना) 9

2.11. निविदा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी 11

2.12. ई–टेंडरिंग प्रक्रिया से संबंधित निर्देश 11

खंड 3: निविदादाताओं के लिए निदेश

3.1. सामान्य 12

3.2. अनुपालन प्रस्ताव/प्रतिक्रिया की पूर्णता 13

3.3. निविदा संबंधी प्रश्न और निविदा–पूर्व बैठक 13

3.4. शुद्धि पत्र जारी करना 14

3.5. बयाना राशी जमा 14

3.6. EMD जमा करने का तरीका 15

3.7. विलंबित बोलियां और निविदा वैधता अवधि 15

3.8. निविदा प्रक्रिया समाप्त करने का अधिकार 15

3.9. निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की विधि 16

3.10. निविदा जमा करने का प्रारूप 16

3.11. प्रदाय सामग्री (प्रकाशित होने वाले गजेटियर–सह–एटलस) की विशिष्टियाँ 17

3.12. बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 17

3.13. भाषा 17

26/02/26

(62)

3.14. मुद्रा 17

3.15. गोपनीयता 17

3.16. अन्य शर्तें 17

खण्ड 4 : निविदा प्राप्ति की पद्धति

4.1. निविदा खोलना 18

4.2. मूल्यांकन प्रक्रिया 19

4.3. तकनीकी–योग्यता मानदंड 20

4.4. तकनीकी निविदा 22

4.4.1. तकनीकी निविदा खोलना 22

4.4.2. तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन 22

4.4.3. तकनीकी मूल्यांकन प्रारूप 24

4.4.4. स्पष्टीकरण 25

4.5. अनुबंध प्रक्रिया 25

4.5.1. निरस्तीकरण अधिकार 25

4.5.2. स्वीकृति पत्र 25

4.5.3. अनुबंध पर हस्ताक्षर 26

4.5.4. निष्पादन बैंक गारंटी 26

4.5.5. RFP/अनुबंध की शर्तों एवं नियमों से असहमति 27

अनुभाग 5: कार्य का दायरा

5.1. सारांश 27

5.2. कार्य आवंटन 27

5.3. अपेक्षित कार्यों 27

5.4. दरों का निर्धारण 28

5.5 भुगतान की शर्तें 28

5.6 परियोजना (प्रदाय) अवधि 29

अनुभाग 6 : अनुबंध की सामान्य शर्तें

6.1 कर एवं शुल्क 29

6.2 अप्रत्याशित घटना 29

6.3 विवादों का समाधान 30

26/02/26

(61)

6.4 विभाग के प्रति दायित्व की सीमा 30

6.5 परिसमापन हर्जाना 30

6.6 हित संघर्ष 31

6.7 नवीनीकरण अथवा हस्तान्तरण 31

खंड 7 : अनुलग्नक

अनुलग्नक I :निविदा पूर्व प्रश्न भेजने का प्रारूप

7.1. निविदादाताओं का नाम 31

अनुलग्नक II : पूर्व–योग्यता निविदा के लिए निदेश

7.2. प्री–क्वालिफिकेशन के लिए अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की चेक–लिस्ट 32

अनुलग्नक III : निविदादाता का विवरण साझा करने के लिये निर्देश

7.3. निविदादाता का विवरण साझा करने का प्रारूप 33

अनुलग्नक IV : निविदादाता के टीम के सदस्यों का विवरण साझा करने के लिये निर्देश

7.4. निविदादाता के टीम के सदस्यों का विवरण साझा करने का प्रारूप 34

7.5. निविदादाता द्वारा ब्लैक लिस्टेड/डिबार्ड न होने की घोषणा का प्रारूप 35

अनुलग्नक V : तकनीकी प्रस्ताव के लिए दिशा–निर्देश

7.6. तकनीकी निविदा कवर पत्र 36

अनुलग्नक VI: वाणिज्यिक निविदा प्रारूप

7.7. वाणिज्यिक निविदा कवर पत्र 38

अनुलग्नक VII–BG के रूप में EMD का प्रारूप

7.8. बयाना राशि जमा (EMD) के लिए बैंक गारंटी प्रारूप 41

अनुलग्नक VIII–निष्पादन बैंक गारंटी (PBG)

7.9 निष्पादन बैंक गारंटी का प्रारूप 44

अनुलग्नक IX– पावर ऑफ अटॉर्नी 47

अस्वीकरण 48

संक्षेपाक्षर 50

परिभाषाएँ 51

26/02/26

खंड– 1 परिचय

दिनांक :———/———/2025

राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार इच्छुक कम्पनी/प्रकाशन संस्थानों/सोसाईटी/एकल फर्म/एजेंसियों से मानचित्रण, कार्टोग्राफिंग, प्रकाशन और मुद्रण पुस्तक स्वरूप हेतु प्रस्ताव–सह–रुचि की अभिव्यक्ति (RFP) आमंत्रित करता है। चयनित एजेन्सी बिहार राज्य की सभी नदियों, आर्द्रभूमि, तालाबों, नहर, बाँध तथा प्रधानमंत्री गतिशक्ति के आवश्यक लेयर्स को जिला–स्तरीय मानचित्र (एटलस) प्रकाशित करेगा। भारत सरकार एवं बिहार सराकर के नवीनतम आँकड़ों का व्याख्यात्मक रूप में उपयोग कर इस एटलस को गजेटियर के स्वरुप में प्रकाशित किया जाएगा। राज्य–स्तरीय एवं जिला–स्तरीय हिन्दी एवं अंग्रेजी में इस प्रकाशन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थानों से संबंधित अद्यतन आँकड़ा प्राप्त कर एजेंसी को प्रदान करेगा। जिसे वर्णित एटलस में समायोजित किया जाएगा। प्रकाशित एटलस में रामसर (RAMSAR) सूचित आद्रभूमियों के फ्लोरा–फौना के विवरण के साथ उनकी उपयोगिता से संबंधित सूचनाओं का समावेशन अपेक्षित होगा।

खंड 2 : प्रस्ताव हेतु अनुरोध

2.1. परियोजना का उद्देश्य

एटलस के रूप में यह सचित्र गजेटियर बिहार राज्य के जिलों में अवास्थित जल निकायों एवं गजेटियर संबंधी सामान्य सूचनाओं और प्रामाणिक आँकड़ों से युक्त एक उपयोगी मार्गदर्शिका है। इस जिला–स्तरीय (अंचलवार) एटलस में सम्बंधित जिले की नदियों, आर्द्रभूमियों, तालाबों, आहर, पाईन, नहरों तथा पीएम गति शक्ति के आवश्यक जी आई एस (GIS) लेयर्स को भू–संदर्भित निर्देशांक मानचित्र पर दर्शाया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति से संबंधित विभिन्न लेयर को भी आवश्यकतानुसार समायोजित करना होगा।

इस एटलस में नदी सम्बंधी आँकड़े बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग से; आर्द्रभूमि से संबंधित आँकड़े वन पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन विभाग से; तालाब संबंधी आँकड़े जल–जीवन–हरियाली मिशन से और प्रधानमंत्री गति शक्ति के आवश्यक जी आई एस (GIS) लेयर्स यथा सड़क, जल स्रोतों एवं जल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण लेयर केंद्र सरकार के Portal से लिए जाएँगे।

यह एटलस न केवल जल से संबंधित उपयोगी जानकारी प्रदान करेगी, अपितु मुद्रित प्रारूप में राज्य के राजस्व ग्रामों के विषय में भी प्रत्यक्ष मानचित्रित सूचना प्रदान करेगी। इन जिला–स्तरीय मानचित्रों में पंचायत और राजस्व ग्रामों की सीमा भी दर्शाई जाएगी, ताकि निम्नतम प्रशासनिक स्तर पर जल निकायों के वितरण को समझा जा सके। जल संबंधी मानचित्रों के अलावा, इस एटलस में राज्य के जिलों के गजेटियर संबंधी तथ्यों और मानचित्रों पर संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण भी होंगे। सफल निविदादाता को भारत सरकार एवं राज्य सरकार की नवीनतम आँकडों के साथ इन्हें प्रकाशित करना होगा।

आरएफपी–सह–ईओआई संबंधी दस्तावेज eproc2 (https://eproc2.bihar.gov.in) से निःशुल्क डाउनलोड की जा सकती है।

26/02/26

59

2.2. परियोजना की आवश्यकता

जल निकायों को एकल मानचित्र के रूप में प्रदर्शित करने से नीति–निर्माताओं, प्रशासकों एवं शोधकर्त्ताओं के साथ आम पाठकों तक समग्र जानकारी एकल स्वरूप में उपलब्ध हो पायेगी।

2.3. कार्य विवरण (एस ओ डब्ल्यू)

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग "STATE LEVEL AND DISTRICT LEVEL (CIRCLE WISE) GAZETTEER-CUM-ATLAS OF WATER BODIES OF BIHAR" बिहार के जल निकायों के राज्य–स्तरीय एवं जिला–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस के मानचित्रण, डिजाइनिंग, प्रकाशन एवं मुद्रण का कार्य (अनुक्रमणिका सहित) के लिए निविदा आमंत्रित करता है। विभाग निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक मापदंडों के अनुरूप इस एटलस को प्रकाशित करने के लिए एक प्रतिष्ठित और स्थापित प्रकाशन संस्थान की सेवाएं लेना चाहता है। सफल निविदादाता के पास पूर्व में राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के प्रकाशन, जिसमें कार्टोग्राफिंग, डिजाइनिंग, मुद्रण एवं प्रकाशनके कार्य का अनुभव होना चाहिए।

निविदादाता को मानचित्रण तथा भारत के महासर्वेक्षक और भारत सरकार की संबंधित एजेंसियों से एटलस के मानचित्रों का अनुमोदन, डिजाइनिंग, पाठ्य.सामग्री विकास तथा मुद्रण का तीन वर्षों से अधिक का अनुभव होना चाहिए। निविदादाता को पूर्व में मानचित्रों युक्त एटलस के प्रकाशन या मुद्रण का भी अनुभव होना चाहिए। निविदादाता को प्रस्तावित प्रकाशन के लिए समेकित दर उद्धृत करनी होगी।

2.4. प्रदाय प्रकाशन का विवरण

पूर्व प्रकाशित राज्य–स्तरीय गजेटियर–सह–एटलस में नदियों से संबंधित आंकड़े जल संसाधन विभाग, आर्द्रभूमि से संबंधित आँकड़े पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग तथा तालाबों से संबंधित आँकड़े जल जीवन हरियाली मिशन द्वारा उपलब्ध कराये गये थे। इस नए जिलावार संस्करण प्रकाशन में प्रधानमंत्री गतिशक्ति के आवश्यक लेयर को भी आवश्यकतानुसार समायोजित किया जाएगा।

जिलावार संस्करण में भी इन आकडों को अद्यतन प्राप्त कर सर्वे ऑफ इंडिया से क्रय किए गए प्रशासनिक सीमायुक्त अंचलवार मानचित्रों पर दर्शाने का कार्य करना होगा। इन भौगोलिक आँकड़े को दर्शाने के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय तथा समुद्री सीमाओं के सीमांकन सम्बन्धी अथवा किसी प्रकार के वैद्यानिक उल्लंघन की जवाबदेही पूर्णतः एजेन्सी की ही होगी। भारत सरकार के विभिन्न संस्थाओं, आर्थिक समीक्षा, बिहार तथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय से संबंधित आँकडों को भी प्राप्त कर इस वर्णित संस्करण में अद्यतन करतेहुए समायोजित करना होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मानचित्र और डिजाइन संबंधी आँकड़ा उपलब्ध नहीं कराएगा। सफल निविदादाता को ही सभी वांछित मानचित्र सर्वे ऑफ इण्डिया से क्रय कर वैद्यानिक मानकों पर तैयार करना होगा।

26/02/26

2.5. कार्य का दायरा

इस प्रस्ताव के दायित्वों के अंतर्गत, चयनित एजेंसी से निम्नलिखित कार्य संपादित करने की अपेक्षा की जाती है:

(i) सफल निविदादाता, जल–जीवन–हरियाली मिशन, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार एवं अन्य संस्थानों से प्राप्त जल निकायों संबंधी भू–संदर्भित आँकड़ों को अंचलस्तरीय प्रशासनिक मानचित्रों पर प्रदर्शित करेगा। इसमें जल निकायों के अतिरिक्त गजेटियर संबंधी सभी आँकड़ों को भाषाई स्वरूप में गजेटियर–सह–एटलस में समायोजित करना होगा।

(ii) सफल निविदादाता को हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण में उपयोग किए गए पैमानों तथा निरूपक भिन्न (आरःएफ) पर ही भारत सरकार से बिहार राज्य और उसके विभिन्न जिलों का प्रशासनिक तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमायुक्त मानचित्र प्राप्त करेगा। साथ ही जिलों के मानचित्रों में एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग तथा सीमावर्ती सड़कों को भी निरूपित करना होगा। संपूर्ण मानचित्रण कार्य के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानूनी/वैधानिक विषयों की जिम्मेवारी केवल निविदादाता की ही होगी।

(iii) इस गजेटियर–सह–एटलस का प्रकाशन दो स्वरूप में किया जायेगा। प्रथम स्वरूप (पृष्ठों की संख्या–776) दो खण्डों में विभाजित होगा। इस राज्य–स्तरीय एटलस में राज्य के सभी अंचलों का मानचित्र प्रमण्डल एवं जिलावार क्रम में प्रकाशित किया जायेगा। स्थानीय/जिलास्तरीय, प्रशासन द्वारा जल प्रबंधन के उद्देश्य से इस कार्य के द्वितीय स्वरूप में राज्य के सभी अंचलों का मानचित्र जिलावार भी मुद्रित किया जायेगा। इस स्वरूप में पृष्ठों की संख्या जिले में अवस्थित अंचलों की संख्या के आधार पर तय की जायेगी। उपरिउद्धृत दोनों ही स्वरूपों में जल निकायों के मानचित्रों के अतिरिक्त गजेटियर संबंधी सूचनाऐं भी समायोजित रहेंगी।

(iv) सम्पूर्ण जल निकायों के जिला–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस यानी प्रस्तावित गजेटियर के पृष्ठों को हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में पृष्ठानुसार इंडेक्सिंग करना होगा।

(v) आवश्यकतानुसार पाठ्य सामग्री के अनुरूप संबंधित मानचित्र भी चयनित एजेंसी को तैयार करना होगा। इन मानचित्रों की भी वैधानिक जबावदेही एजेंसी की ही होगी।

2.6. निविदादाता की योग्यता

निविदादाता को निम्नलिखित कार्य पूरा करने में सक्षम होना चाहिए –

क) **मानचित्रण संबंधी कार्यः** भारत सरकार से वांछित पैमाने और प्रतिनिधि अंश पर बिहार राज्य और जिलों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मानचित्रण संबंधी कार्यों का 3 वर्षों का अनुभव।

ख) **मानचित्र अनुमोदनः** एटलस में प्रकाशित मानचित्रों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग से अनुमोदन प्राप्ति संबंधी कार्य का अनुभव।

ग) **विषय–वस्तु विकासः** इसका तात्पर्य प्रकाशन के लिए जल निकायों को मानचित्रित करने, भौगोलिक पाठ्य–सूचना और अन्य निदर्शी घटकों को व्यवस्थित करने और विकसित करने की प्रक्रिया के साथ कार्य करने का अनुभव, जिलों का इतिहास, पुरातत्व, भूगोल, मृदा संरचना, जल संसाधन, कृषि, उद्योग, पर्यटन, भूमि–उपयोग आदि से भी है।

26/02/26

57

घ) **डिजाइनिंगः** मानचित्रों और डिजाइनिंग में पृष्ठ संयोजन का अनुभव आवश्यक है, ताकि प्रकाश्यमान एटलस को रचनात्मक, रूचीकर और सूचनात्मक स्वरूप प्रदान किया जा सके।

2.7. वित्तीय योग्यता

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार राज्य के जल निकायों का जिला–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस के मानचित्रण, डिजाइनिंग, मुद्रण एवं प्रकाशन हेतु प्रतिष्ठित एजेंसियों से RFP आमंत्रित करता है। विभाग यहां सक्षम और पेशेवर एजेंसियों/प्रकाशन गृहों/संस्थानों, जो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित कम्पनियों से RFP के कंडिका 4.3 के अनुरूप प्रस्ताव मांगता है। इच्छुक निविदादाता नए मापदंडों के अनुसार अंचलवार गजेटियर–सह–एटलस तैयार करने के लिए इस निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। भाग लेने वाली एजेंसियों के लिए योग्यता मानदंड RFP दस्तावेज के विभिन्न खंडों के तहत दिए गए हैं।

निविदादाता की एजेंसी का गठन/निगमन की तिथि 3 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। गठन की तिथि के बाद पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों के कारोबार को इस मानदंड के लिए ध्यान में रखा जाएगा। निविदादाता का पिछले तीन वित्तीय वर्षों का प्रतिवर्ष टर्न ओवर 25 लाख रुपये या उससे अधिक होना चाहिए, जो दस्तावेजी प्रमाण/लेखारीक्षित अथवा सीए प्रमाणित खातों के विवरण द्वारा समर्थित हो। (लेखा परीक्षित अथवा बैलेंस शीट तथा लाभ एवं हानि खाता विवरण की प्रतियां प्रस्तुत करें)।

2.8. मुद्रण: मानचित्रों के मुद्रण में उच्चतम स्तर की सटीकता अपेक्षित होती है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रकाशन हेतु निविदादाता से नवीनतम मुद्रण तकनीकों का उपयोग अपेक्षित है। मुद्रण का पूर्व का अनुभव से संबंधित प्रमाण हेतु पुस्तक की प्रति संलग्न होनी चाहिए। मुद्रण में जल निकायों और संबंधित प्रशासनिक सीमाओं एवं स्थलों की सटीकता का उच्चतम स्तर पर पालन किया जाना चाहिए। यही सटीकता अंतर्राष्ट्रीय और राज्य एवं अन्य प्रशासनिक सीमाओं के संदर्भ में विशेष रूप से अपेक्षित रहेगी। चूंकि कई मानचित्र दो पृष्ठों में विस्तारित होंगे, इसलिए उत्कृष्टतम स्तर का बाइंडिंग कार्य किया जाना चाहिए।

2.9. निविदा मूल्य (EMD) और प्रक्रिया

संपूर्ण निविदा दस्तावेज https://eproc2.bihar.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा। निविदादाता उक्त वेबसाईट से निविदा डाउनलोड कर सकते है। डाउनलोड किए गए निविदा दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया (ई–प्रोक्योरमेंट/ई–टेंडरिंग) में भाग लेने के लिए वैध माना जाएगा, बशर्ते कि आवश्यक निविदा ईएमडी ऑनलाइन मोड/बीजी के माध्यम से "निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–अवर सचिव, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना" के पक्ष में पटना में देय हो और RFP में उल्लिखित निर्धारित तिथि और स्थान के अनुसार भौतिक रूप से जमा किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर निविदा को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वे RFP नोटिस के उत्तर में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले इस RFP दस्तावेज़ का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें। निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा, इस निविदा दस्तावेज़ के नियमों, शर्तों और निहितार्थ की पूरी समझ के साथ सावधानीपूर्वक अध्ययन और जांच के बाद प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

26/02/26

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना
केवल ई–प्रोक्योरमेंट मोड के माध्यम से https://eproc2.bihar.gov.in
NIT संख्या–03 / 2025–26

2.10. RFP अनुसूची – महत्वपूर्ण तिथियां (NIT: निविदा आमंत्रण सूचना)

क्र0 सं.	विशिष्टियाँ	विवरण
1.	विज्ञापनदाता का पदनाम और पता	उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
2.	निविदा आमंत्रण सूचना जारी करने की तिथि	दिनांक – **26 / 02 / 2026**
3.	निविदा प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	**27 / 02 / 2026** को प्रातः 10:00 बजे से https://eproc2.bihar.gov.in पर
4.	निविदा–पूर्व बैठक की तिथि, समय और स्थान	**05 / 03 / 2026** को अपराह्न 4:00 बजे VC हॉल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पुराना सचिवालय, पटना–800015
5.	निविदादाता द्वारा निविदा दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि और समय (अंतिम तिथि)	**20 / 03 / 2026** अपराह्न 6:00 बजे तक, https://eproc2.bihar.gov.in पर।
6.	अग्रधन जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थान।	**23 / 03 / 2026** को पूर्वाह्न 10:30 बजे तक, बिहार गजेटियर्स, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना
7.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि, समय और स्थान	**23 / 03 / 2026** को पूर्वाह्न 11:00 बजे VC हॉल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पुराना सचिवालय, पटना–800015
8.	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि, समय और स्थान	तकनीकी निविदा के निष्पादन के उपरांत, वित्तीय निविदा के लिए समय एवं तिथि की घोषणा की जायेगी।
9.	निविदा की वैधता	90 दिन

10. **कार्य का विवरण :–**

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	EMD की राशि	निविदा प्रसंस्करण शुल्क (ऑनलाइन भुगतान किया जाने वाला गैर–वापसी योग्य शुल्क)	कार्य पूरा होने का समय
1	2	3	4	5
1	"STATE LEVEL AND DISTRICT LEVEL (CIRCLE WISE) GAZETTEER-CUM-ATLAS OF WATER BODIES OF BIHAR" बिहार के जल निकायों के राज्य–स्तरीय एवं जिला–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह– एटलस (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) के मानचित्रण, डिजाइनिंग, प्रकाशन एवं मुद्रण का कार्य अनुक्रमणिका सहित।	2,00,000/- (केवल दो लाख रूपया मात्र)	रु. 5,900/- (नॉन रिफंडेबल)	18 महीने

26/02/26

55

नोटः विभाग अपनी सुविधानुसार उपरोक्त तिथियों में से किसी एक या सभी तिथियों में परिवर्तन कर सकता है। इसकी सूचना https://eproc2.bihar.gov.in/https://state.bihar.gov.in/lrc पर उपलब्ध रहेगा। विभाग किसी भी सर्वर विफलता, डाक में देरी या दस्तावेजों की गैर–प्राप्ति/गैर–डिलीवरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

26.02.26

(डॉ0 सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

26/02/26

2.11. निविदा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

क्र.सं0	मद	विवरण
1	निविदा सुरक्षा / बयाना राशि जमा (EMD)	2,00,000 / – (केवल दो लाख रूपया मात्र) राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक द्वारा जारी Online/ BG के रूप में ईएमडी, "निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–अवर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना" के पक्ष में, पटना में देय, 180 दिनों की वैधता अवधि के साथ।
2	निविदा प्रसंस्करण शुल्क (ई–प्रोक्योरमेंट)	रु.5,900/- (वापसी योग्य नहीं) 18% जीएसटी सहित, ई–भुगतान मोड अर्थात NEFT/RTGS@ क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड के माध्यम से https:// eproc2.bihar.gov.in
3	निष्पादन बैंक गारंटी (PBG)	अनुबंध मूल्य का 5% से कम नहीं होगा, जो निर्धारित प्रपत्र–7.8 अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में होगा।
4	संचार, स्पष्टीकरण मांगने और प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नाम और पता	बिहार गजेटियर्स, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना–800015 टेलीफोन नंबर : 9470092436 / 9934400209
5	किसी भी तकनीकी या वेबसाइट से संबंधित सहायता के लिए	eproc 2.0 हेल्प डेस्क का पता : एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड, आर जे कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, केनरा बैंक कैम्पस, खाजपुरा, आशियाना रोड, थाना – शास्त्री नगर, पटना 800014, टोल फ्री नंबर – 18005726571 (सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक), ई–मेल–eproc2support@bihar.gov.in

2.12. ई–टेंडरिंग प्रक्रिया से संबंधित निर्देश

निविदादाता को ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदा के लिए निविदा प्रस्तुत करने के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करनी होगी। https://eproc2.bihar.gov.in पर नीचे दी गई प्रक्रिया द्वारा: https://eproc2.bihar.gov.in पर प्रस्तुत करेगा।

2. ई–टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पहले निविदादाता के पास क्लास II/III डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) और ई–टेंडरिंग वेबसाइट का ई–टेंडरिंग यूजर–आईडी होना चाहिए। निविदादाता के पास अगर पहले से ही DSC है तो वे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वे किसी भी अधिकृत एजेंसी से DSC भी ले सकते हैं। यूजर–आईडी के लिए उन्हें ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाइट https://eproc2.bihar.gov.in पर खुद को रजिस्टर करवाना होगा और अपनी बोलियां ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। ऑफलाइन बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

26/02/26

(53)

3. निविदादाताओं को अपनी पात्रता और योग्यता का विवरण, तकनीकी निविदा, वित्तीय निविदा आदि, संबंधित चरण में ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन मानक प्रारूपों में ही प्रस्तुत करना होगा। निविदादाताओं को अपनी पात्रता मानदंड/तकनीकी बोलियों और अन्य प्रमाणपत्र/दस्तावेजों के समर्थन में सभी प्रासंगिक प्रमाणपत्रों, दस्तावेजों आदि की स्कैन की गई प्रतियाँ ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पर अपलोड करनी होंगी। निविदादाता अपने द्वारा अपलोड किए गए सहायक कथनों, दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करेगा और उनकी सत्यता/प्रामाणिकता की जिम्मेदारी लेगा। निविदादाता को निविदा नोटिस और निविदा दस्तावेज के अनुसार निविदा प्रस्तुत करने के दौरान अपलोड करने के बाद निविदा के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

4. सभी आवश्यक दस्तावेज उचित स्थान पर और उचित नामावली के साथ क्रमानुसार संलग्न किए जाने चाहिए (जैसा कि ई–फॉर्म के कंडिका 4.3 में उल्लेखित है) अन्यथा निविदादाता की निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

5. निविदा प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान केवल ई–भुगतान मोड (अर्थात एनईएफटी/आरटीजीएस, नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड) के माध्यम से किया जाना है।

6. सभी आवश्यक परिभाषित निविदा दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे।

7. बयाना राशि जमा (EMD) का भुगतान ऑनलाईन मोड अथवा BG के माध्यम से किया जा सकता है। ईएमडी की मूल हार्डकॉपी जो BG या कोई अन्य उपकरण हो सकती है, उसे निर्धारित तिथि से पहले निविदा प्राधिकरण कार्यालय में जमा कर देना चाहिए। इसकी प्रमाणित तीन प्रतियाँ ईएमडी के साथ जमा करनी होंगी।

नोटः "आवश्यक ऑनलाइन भुगतान के साथ बोलियां ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://eproc2.bihar.gov.in के माध्यम से RFP में निर्दिष्ट तिथि और समय से पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन की अनुपलब्धता, नेटवर्क ट्रैफिक/छुट्टियों या किसी अन्य कारण से होने वाली देरी/निविदा प्रस्तुत न करने/ऑनलाइन भुगतान के गैर–समाधान के लिए विभाग कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। "

खंड 3: निविदादाताओं के लिए निदेश

3.1 सामान्य

1. यद्यपि कार्यों को सम्पन्न करने हेतु व्यापक और सटीक पृष्ठभूमि, जानकारी और आवश्यकताओं के अनुरूप सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, तथापि निविदादाता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समाधान का आकलन करने और प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। निविदादाता इस RFP के संबंध में अपने स्वयं के कानूनी सलाहकारों से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

2. विभाग द्वारा चयनित एजेन्सी को कार्य सौंपे जाने पर निविदादाताओं द्वारा दी गई सभी सूचनाएं निविदादाताओं पर संविदात्मक रूप से बाध्यकारी मानी जाएंगी।

3. किसी भी प्रकार की कोई प्रतिबद्धता, संविदात्मक या अन्यथा तब तक प्रभावी नहीं होंगी, जब तक कि विभाग द्वारा या उसकी ओर से औपचारिक लिखित अनुबंध निष्पादित नहीं कर दिया जाता है। विभाग की कोई भी अधिसूचना निविदादाता के किसी भी अधिकार को जन्म नहीं देगी। विभाग द्वारा या उसकी ओर से औपचारिक लिखित अनुबंध

26/02/26

52

निष्पादित किए जाने से पहले किसी भी समय बिना कोई कारण बताए विभाग इस सार्वजनिक निविदा को रद्द कर सकता है।

4. यह RFP किसी भी पिछले सार्वजनिक दस्तावेजीकरण एवं संचार का स्थान लेगा तथा निविदादाताओं को पूर्व के किसी संचार पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए।

3.2 अनुपालन प्रस्ताव/प्रतिक्रिया की पूर्णता

1. निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वे RFP दस्तावेज़ में दिए गए सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों, आवश्यकताओं और अन्य सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। उनके द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के कार्यों को RFP दस्तावेज़ की शर्तों/आवश्कताओं को सावधानी पूर्वक जांच करने और उसके निहितार्थों को पूरी तरह समझने के बाद किया गया माना जाएगा।

2. पिछले पैराग्राफ की आवश्यकताओं का अनुपालन न करने पर प्रस्ताव को गैर–अनुपालन माना जा सकता है और प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है।

3. निविदादाताओं द्वारा निम्न का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(i). इस RFP में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज कंडिका 7.2 के अनुरूप क्रमवार शामिल करें,

(ii). इस RFP के प्रारूप का पालन करें और प्रत्येक तथ्य का जवाब इस RFP में बताए गए क्रम में दें,

(iii). इस RFP में निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करें।

3.3. निविदा संबंधी प्रश्न और निविदा–पूर्व बैठक

1. इस निविदा दस्तावेज़ से संबंधित निविदादाताओं की सभी पूछताछ ईमेल आईडी : revgazetteerbihar@gmail.com पर प्रेषित की जानी चाहिए (केवल एक्सेल प्रारूप में) प्रश्नों को अनिवार्य रूप से अनुलग्नक–I में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. विभाग द्वारा संभावित निविदादाताओं द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों (यदि कोई हो) के लिए एक प्री–बिड मीटिंग का आयोजन किया जायेगा। इस बैठक की तिथि, समय और स्थान अनुभाग 2.10 (NIT: निविदा आमंत्रण सूचना) में दिए गए हैं। निविदादाताओं के प्रतिनिधि अपनी खर्च पर प्री–बिड मीटिंग में भाग ले सकते हैं। प्री–बिड मीटिंग का उद्देश्य निविदादाताओं को अपनी शंकाओं को दूर करने/स्पष्टीकरण प्राप्त करने या अपनी निविदा प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

3. निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पहले, प्रस्तावित कार्य को समझने हेतु प्री–बीड बैठक में भाग लेना चाहिए। प्री–बीड बैठक के उपरांत (RFP-cum-EOI) की शर्तों के संबंध में किसी भी बदलाव की जानकारी मांगने अथवा दावा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदादाता को संबंधित प्रक्रियाओं और निष्पादित किये जाने वाली कार्य–प्रणाली का सम्पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।

26/02/26

(51)

4. निर्दिष्ट समय सीमा के बाद प्रस्तुत किए गए प्रश्नों या निर्दिष्ट प्रारूप का पालन न करने वाले प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। प्रश्नों के सभी उत्तर (स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र) निविदा वेबसाइट https://eproc2.bihar.gov.in पर समयानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। निविदा–पूर्व प्रश्न प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय इस RFP में दिए गए कार्यक्रम के अनुसार होगा।

5. आरएफपी के लिए स्पष्टीकरण

इस आरएफपी दस्तावेज के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण, आरएफपी आमंत्रण नोटिस के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के गजेटियर अनुभाग को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3.4 शुद्धि पत्र जारी करना

1. विभाग द्वारा प्री–बिड कॉन्फ्रेंस के पश्चात पूछे गये प्रश्नों का औपचारिक रूप से उत्तर दिया जायेगा। ध्यातव्य है कि इस RFP के प्रावधानों के अनुसारप्री–बिड प्रश्न अथवा शंकाओं को प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद कोई भी प्रश्न स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. विभाग सभी प्रश्नों का उत्तर समय पर देने का प्रयास करेगा। हालाँकि, विभाग किसी भी उत्तर की पूर्णता या सटीकता हेतु संकल्पित नहीं है तथा निविदादाताओं द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिये भी विभाग वचनबद्ध नहीं है।

3. निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, विभाग किसी भी कारण से, चाहे अपनी पहल पर या किसी संभावित निविदादाता द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के जवाब में, एक शुद्धिपत्र के माध्यम से RFP दस्तावेज़ को संशोधित कर सकता है। शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) और सभी निविदादाताओं के प्रश्नों के स्पष्टीकरण वेबसाइट https://eproc2.bihar.gov.in पर पोस्ट कर दिये जाएंगे।

4. इस प्रक्रिया में जनित कोई भी शुद्धिपत्र इस RFP में सम्मिलित माना जाएगा। संभावित निविदादाताओं को शुद्धिपत्र पर विचार करने की समय–सीमा विभाग अपने विवेक पर निर्धारित करेगा।

3.5. बयाना राशि जमा

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पक्ष में पटना में देय ऑनलाईन भुगतान अथवा किसी भी अनुसूचित बैंक के BG के रूप में रु. 200000/– बयाना राशि को चिह्नित लिफाफे में जमा करना होगा। सफल निविदादाता के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् असफल निविदादाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। सफल निविदादाता की ईएमडी अपेक्षित कार्य सम्पन्न होने के पश्चात ही वापस की जाएगी। सफल निविदादाता की बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी, यदि:

i) निविदादाता अपना प्रस्ताव वापस ले लेता है।

ii) निविदादाता मूल प्रस्ताव में किसी भी नियम व शर्त में संशोधन की मांग करता है।

3.6. EMD जमा करने का तरीका

1. EMD वाले लिफाफे पर बिहार के जल निकायों के जिलावार गजेटियर–सह–एटलस के मानचित्रण, डिजाइनिंग, प्रकाशन एवं मुद्रण का कार्य

26/02/26

(अनुक्रमणिका सहित) हेतु प्रस्ताव–सह–रुचि की अभिव्यक्ति हेतु अनुरोध के लिए EMD (संदर्भ संख्याः 03/2025-26)" लिखा होना चाहिए। लिफाफा बिहार गजेटियर्स, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना पर निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पहले भौतिक रूप से या डाक द्वारा जमा किया जाना चाहिए।

2. प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय EMD की स्कैन प्रति भी ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

3.7. विलंबित निविदा और निविदा वैधता अवधि

1. किसी भी कारण से निर्धारित तिथि और निर्दिष्ट समय (विस्तारित अवधि सहित, यदि कोई हो) के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें ई–टेंडरिंग प्रणाली में भी नहीं खोला जाएगा। निविदा की सभी शर्तें नियत तिथि से 18 माह की अवधि के लिए वैध रहनी चाहिए। विभाग बिना किसी पत्राचार के, 18 माह से कम समय के लिए वैध निविदा को गैर–उत्तरदायी मानकर अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। विशेष परिस्थितियों में, विभाग निविदादाता से वैधता अवधि के विस्तार की मांग कर सकता है। अनुरोध अथवा प्रतिक्रिया लिखित रूप में की जानी चाहिए। निविदादाता द्वारा वैधता अवधि का विस्तार बिना शर्त करना होगा। इस हेतु प्रदान की गई EMD भी पर्याप्त रूप से विस्तारित होगी। वैधता का विस्तार करने वाले निविदादाता को अपनी तकनीकी या वित्तीय निविदा को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

3.8. निविदा प्रक्रिया समाप्त करने का अधिकार

1. विभाग किसी भी समय बिना कोई कारण बताए निविदा प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। विभाग ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं जताता, चाहे वह व्यक्त हो या निहित, कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेन–देन होगा।

2. इस प्रक्रिया में निविदादाता की भागीदारी के परिणामस्वरूप विभाग अनुबंध के निष्पादन की दिशा में आगे की वार्त्ताओं और बातचीत में शामिल होने के लिए निविदादाता का चयन कर सकता है। हालाँकि, इस तरह की बातचीत की शुरुआत विभाग द्वारा अनुबंध निष्पादित करने या बातचीत जारी रखने की प्रतिबद्धता को नहीं दर्शाती है। विभाग बिना कोई कारण बताए किसी भी समय बातचीत समाप्त कर सकता है।

3. निविदादाता के कार्य/अनुबंध को विभाग निम्न परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है :

(i) कार्य आरम्भ करने में असफल रहा हो, या बिना किसी वैध कारण के अपेक्षित कार्य को 30 कार्य दिवस से अधिक समय तक स्थगित रखा हो।

(ii) इस अनुबंध के अंतर्गत निविदादाता द्वारा पालन किए जाने वाले सभी या किसी भी नियम, कार्य, विषयों या शर्तों का पालन करने में उपेक्षा की हो या असफल रहा हो।

(iii) किसी भी तरह से विभाग के हित, गरिमा, नाम या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य किया हो।

(iv) बिना अधिकार के इस अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया हो या अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया हो।

26/02/26

49

3.9. निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की विधि :

1. ई– प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://eproc2.bihar.gov.in पर निविदा के लिए निविदा प्रस्तुत करने के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करनी होगी।

2. (क) ''बिहार के जल निकायों के जिलास्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस और इस RFP-cum-EOI दस्तावेज में उल्लेखित पुस्तक के मानचित्रण, डिजाइन, मुद्रण एवं प्रकाशन के लिए दो लिफाफा प्रणाली (''तकनीकी निविदा'' और ''वित्तीय निविदा'') में सीलबंद किए गए प्रस्ताव RFP-cum-EOI (विज्ञापन संख्या–3 / 2025–26) के आमंत्रण नोटिस में उल्लिखित तिथि तक या उससे पहले गजेटियर शाखा, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार को प्रस्तुत करना होगा।

ख) निविदादाता अथवा फर्म का पूरा नाम और पता आरएफपी–सह–ईओआई वाले लिफाफे में अंकित होना चाहिए। इसे लिफाफे के निचले बाएं कोने पर लिखा जाना चाहिए।

3.10. निविदा जमा करने का प्रारूप

1. इस RFP में विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार ही सम्पूर्ण प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. RFP में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों की पुष्टि नहीं करने वाली निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3. फर्जी अभिलेख प्रस्तुत करने पर भी निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा। विभाग फर्जी / जाली सूचना देने वाले निविदादाता के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. किसी भी निर्धारित प्रारूप से विचलन वाली निविदा अस्वीकृत की जा सकती हैं।

5. निविदादाताओं को RFP में उल्लिखित तकनीकी योग्यता मानदंड और वित्तीय प्रस्ताव से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज केवल RFP में उल्लिखित वेबसाइट पर ही जमा करने होंगे। निविदादाता को RFP के खंड 4.3 (तकनीकी योग्यता मानदंड) और अनुलग्नक II के अनुसार दस्तावेजों की हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी ।

6. प्रस्ताव के दोनों खण्डों (तकनीकी प्रस्ताव और वित्तीय प्रस्ताव) को क्रम संख्या के आधार पर ऑनलाइन प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। साथ ही प्रस्तुत अभिलेख की सूची भी संलग्न करनी होगी (अनुलग्नक II के अनुरूप)।

7. निविदा जमा करने की प्रक्रिया

इच्छुक निविदादाता को तकनीकी योग्यता मानदंड एवं तकनीकी मूल्यांकन हेतु RFP की कंडिका 4.3 एवं 4.4.3 के अनुरूप सीलबंद लिफाफों में आवश्यक कागजात (प्रपत्र) जमा करना होगा।

3.11. प्रदाय सामग्री (प्रकाशित होने वाले गजेटियर–सह–एटलस) की विशिष्टियाँ

चयनित एजेंसी को "DISTRICT LEVEL (CIRCLE WISE) GAZETTEER-CUM-ATLAS OF WATER BODIES OF BIHAR" बिहार के जल निकायों के जिला–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस के मानचित्रण, डिजाइनिंग, प्रकाशन एवं मुद्रण का कार्य (अनुक्रमणिका सहित) के लिए मुद्रित स्वरुप में उपलब्ध कराना होगा। प्रदाय की जानेवाली सामग्री निविदा– प्रपत्र की गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

26/02/26

(क) पुस्तक का आकार –11.6"x16.5"
(ख) पुस्तकों की संख्या–RFP की कंडिका 5.3 अथवा कार्यादेश के अनुरूप।
(ग) पृष्ठों की कुल संख्या –RFP की कंडिका 5.3 के अनुरूप।
(घ) Text Paper – 100 GSM - Art Paper Matt Finish अच्छे गुणवत्ता युक्त A ग्रेड मिल की होनी चाहिए (नमूना संलग्न)।
(ड़) Cover Paper – कंडिका 5.3 के क्रम संख्या 1 में वर्णित पुस्तक–सह–एटलस का कभर Hard bound with quality binding on fully automatic mattfinish एवं क्रम संख्या 2 का कभर Soft Bound- 300GSM का होगा।
(च) बाईंडिग – Thread Glue binding (धागा युक्त गोंद बंधन)।

3.12. बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024

बिहार वित्त संशोधन नियमावली, 2024 के कंडिका–131ख एवं बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 के कंडिका–8 के अनुरूप " **स्थानीय उद्यम** " को खरीद अधिमानता प्रदान की जायेगी।

3.13. भाषा

1. इस RFP के उत्तर में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी निविदा दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में होने चाहिए। सहायक दस्तावेज/प्रमाण पत्र भी केवल हिंदी/अंग्रेजी भाषा में हो सकते हैं।
2. RFP की कंडिका 5.3 में वर्णित जिला–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस का प्रकाशन हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में करना है। जिसमें विषय–वस्तु एवं भाषा की मौलिकता को बनाए रखना होगा।

3.14. मुद्रा

1. यह प्रस्ताव केवल भारतीय रुपए में ही दिया जाना चाहिए।

3.15. गोपनीयता

1. सफल निविदादाता को प्रकाशित सामग्री के बारे में गोपनीयता तब तक बनाए रखनी होगी जब तक कि वह प्रकाशित न हो जाए या सार्वजनिक प्रदर्शन/बिक्री के लिए उपलब्ध न हो जाए।

3.16. अन्य शर्त्तें

1. जमा किये गये सभी कागजात स्व0 अभिप्रमाणित होना चाहिए।
2. उपरोक्त वर्णित सभी तकनीकी शर्त से संबंधित कागजात क्रमवार पेज नं0 सहित संलग्न करना होगा।

3. (क) प्रकाशन सामग्रियों के पृष्ठों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है, दर उसी हिसाब से समानुपातिक रूप से (pro rata basis के आधार पर) संशोधित माना जायेगा। सफल निविदादाता कार्य सम्पन्न करने के उपरांत संशोधित दर के अनुसार अपना विपत्र उपस्थापित कर भुगतान प्राप्त कर सकेंगे।
(ख) गजेटियर–सह–एटलस (मानचित्रण) एवं विषयवस्तु संबंधी 'अन्य कार्य' भी विभाग द्वारा चयनित एजेंसी को समान शर्तों पर दिया जा सकता है। विभाग द्वारा चयनित एजेंसी को समान प्रकृति के दिये गये कार्यादेश हेतु RFP की कंडिका 7.6 के कंडिका–1 में वर्णित दर के अनुसार (समानुपातिक रूप में) भुगतान किया जायेगा।
(ग) प्रस्तावित दरों में ही परिवहन, पैकेजिंग, विभाग में डिलीवरी आदि को शामिल समझा जाए।

26/02/26

(घ) वित्तीय निविदा में जीएसटी की राशि का उल्लेख निविदादाता अलग से करेंगे। जीएसटी की दर जीएसटी नियमावली के अनुसार निर्धारित होगी।

(ड.) ऐसे प्रस्ताव जो RFP-CUM-EOI दस्तावेज में निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं होंगे, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. निविदादाता द्वारा दिया गया स्वघोषणा एवं शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने की स्थिति में निविदादाता के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

5. विवादों का निपटारा :

इस RFP अथवा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन संबधी विवाद की स्थिति में न्यायिक वाद व्यवहार न्यायालय, पटना में ही लाये जा सकेंगे। उनके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

खण्ड 4: निविदा प्राप्ति की पद्धति

4.1. निविदा खोलना

1. प्रस्ताव/निविदा खोलते समय पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी और पूर्व निर्धारित मानकों का पालन किया जाएगा।

2. विभाग निर्धारित निविदा खोलने, स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. सर्वप्रथम, eproc2 के माध्यम से तकनीकी–योग्यता प्रस्ताव खोले जाएंगे। जिन निविदाओं के साथ अपेक्षित EMD नहीं होगी या जिनकी EMD सही नहीं होगी, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। केवल वे निविदा ही खोलने के लिए मान्य होंगी, जिनके लिए EMD संलग्न होगी।

4. निर्धारित तिथि और समय के अनुसार, तकनीकी अर्हता प्राप्त निविदादाताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे। सभी बोलियाँ निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी, जो इसमें भाग लेना चाहते हैं।

5. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले एक/सभी निविदादाताओं की अनुपस्थिति की स्थिति में भी विभाग सभी निविदादाताओं की बोलियां खोलने की प्रक्रिया जारी रखेगा।

6. निविदा खोलने के दौरान, निविदा दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच की जाएगी, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वे पूर्ण हैं, क्या आवश्यक निविदा सुरक्षा प्रस्तुत की गई है, क्या दस्तावेजों पर उचित रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं और क्या बोलियाँ सामान्य रूप से क्रम में हैं। ऐसी प्रारंभिक आवश्यकताओं के अनुरूप न होने वाली निविदाओं को प्रथम दृष्टया अस्वीकार कर दिया जाएगा। विभाग को किसी भी समयनिविदा को अस्वीकार करने का अधिकार है।

4.2. मूल्यांकन प्रक्रिया

1. प्राप्त निविदाएं खोले जाने के उपरांत निविदा की स्वीकृति हेतु गठित निविदा मूल्यांकन समिति (Bid Evaluation Committee) निविदाओं का मूल्यांकन करेगी। इस मूल्यांकन को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन पात्रता मानदंड, कार्य का अनुभव और एजेंसी की प्रस्तुति के आधार पर किया जाएगा। संबंधित निविदाकारों की निविदा में उल्लिखित सामग्री, उनकी व्यवसायिक क्षमता, समान प्रकार के कार्य करने का पूर्वानुभव

एवं कार्य दक्षता आदि का आंकलन किया जाएगा तथा कार्य करने में सक्षम निविदाकारों का चयन किया जाएगा।

2. इस मूल्यांकन प्रक्रिया का सम्पूर्ण उद्देश्य बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की संदर्भित परियोजना के लिए एक सक्षम और योग्य फर्म का चयन करना है। निविदा मूल्यांकन समिति निविदादाताओं के तकनीकी–योग्यता प्रस्ताव की समीक्षा करेगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि निविदादाता/निविदादाताओं द्वारा RPF की कंडिका 4.3 में उल्लिखित आवश्यकताएं को पूरा किया गया है या नहीं।

3. अधूरे या आंशिक प्रस्ताव अयोग्य माने जाऐंगे। वे सभी निविदादाता जो तकनीकी–योग्यता प्रस्ताव की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें वित्तीय प्रस्ताव खोलने के लिए चुना जाएगा।

4. निविदा मूल्यांकन समिति तकनीकी–योग्य निविदादाताओं के तकनीकी प्रस्ताव की समीक्षा करेगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि तकनीकी प्रस्ताव पर्याप्त रूप से सही हैं या नहीं। जो निविदाऐं पर्याप्त रूप से सही नहीं हैं, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और निविदा मूल्यांकन समिति को आवश्यकता होने पर स्पष्टीकरण पूछने का अधिकार है।

5. निविदा मूल्यांकन समिति निविदादाताओं को RFP में विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर तकनीकी रूप से सफल घोषित करेगी। RFP में निर्दिष्ट शर्त्तों के आलोक में तकनीकी रूप से सफल निविदादाता ही वित्तीय मूल्यांकन हेतु अर्हता प्राप्त करेंगे।

6. तकनीकी रूप से योग्य निविदादाताओं के ही वित्तीय प्रस्तावों को खोला जाएगा और उनकी समीक्षा की जाएगी, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वित्तीय प्रस्ताव पूर्ण और आवश्यकताओं के अनुरूप है। भ्रामक वित्तीय प्रस्तावों को निविदा प्रक्रिया से अलग कर निविदा प्रक्रिया को संपन्न किया जायेगा।

7.समान दरें प्राप्त होने की स्थिति में बिहार में स्थित और तुलनात्मक रूप से अधिक अनुभवी निविदाकार को वरीयता दी जाएगी।

26/02/26

45

4.3. तकनीकी–योग्यता मानदंड

1. निविदादाता को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तकनीकी–योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा।

क्र0 सं0	अनिवार्य अर्हताएँ	आवश्यक अभिलेख	नाम पद्धति
1.	निविदादाता फर्म/प्रकाशक को भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956/2013 अथवा प्रोपराइटरशिप अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1861/सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSME/MSEs)के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए।	स्थापना का प्रमाण।	PQ-01
2.	कोटेशन के साथ MSEs के अन्तर्गत निबंधित निविदाताओं को छोड़कर अन्य निविदादाताओं को Bid Security/Earnest Money Deposit (EMD) के रूप में 2,00,000/- (दो लाख रूपये) का BG (Bank Guarantee)/ Online अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में देय हो।	EMD की मूल प्रति।	PQ-02
3.	निविदादाता को जी.एस.टी. से निबंधित होना चाहिए।	संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति।	PQ-03
4.	निविदादाता को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए।	पैन कार्ड की छाया प्रति।	PQ-04
5.	आयकर रिटर्न पत्र एवं बैंलेस सीट वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 की प्रति संलग्न करना होगा।	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के बैलेंस सीट की छायाप्रति।	PQ-05
6.	निविदादाता का पिछले तीन वर्षों का टर्न ओवर कम–से–कम 25 लाख रुपया प्रति वर्ष होना चाहिए।	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के टर्न ओवर की प्रतिलिपि।	PQ-06
7.	कार्टोग्राफिक (मानचित्रण) अनुभव : निविदादाता को निर्दिष्ट पैमाने और भू–निर्देशांक पर भौगोलिक निर्देशांक और अन्य आवश्यक विशेषताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रशासनिक सीमा युक्त स्थानों/स्थलों के कार्यों को शैक्षिणिक–सह–भौगोलिक एटलस में प्रदर्शित करने का अनुभव।	प्रकाशित अथवा मुद्रित शैक्षिणिक–सह–भौगोलिक एटलस के कभर की प्रति।	PQ-07

26/02/26

8.	निविदादाता को शैक्षिणिक–सह–भौगोलिक एटलस संबंधी पुस्तकों की छपाई (अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में) के कार्यों का 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।	शैक्षिणिक–सह–भौगोलिक एटलस के कभर की प्रति।	PQ-08
9.	निविदादाता का किसी भी सरकारी/ अर्धसरकारी या गैर सरकारी संस्थान के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो।	तत्संबंधित घोषणा पत्र, (Notary द्वारा शपथ पत्र के रूप में संलग्न करना होगा)–कडिका 7.4 के अनुरूप।	PQ-09
10.	अधिकृत हस्ताक्षर	निविदा प्रक्रिया के लिए अधिकृत व्यक्ति को सौंपी गई मूल पावर ऑफ अटॉनी और अनुलग्नक VIII में दिए गए प्रारूप के अनुसार निविदा प्रस्तुत करना।	PQ-10
11.	कवर लेटर (अनुलग्नक–V के अनुरूप)	पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित कवर लेटर।	PQ-11
12.	निविदादाता का विवरण साझा करने का प्रारूप (अनुलग्नक–III)	कम्पनी के लेटर हेड पर निविदादाता का विवरण अंकित करना।	PQ-12
13.	निविदादाता के टीम के सदस्यों का विवरण साझा करने का प्रारूप (अनुलग्नक–IV)।	कम्पनी के लेटर हेड पर सदस्यों का विवरण अंकित करना।	PQ-13

26/02/26

43

4.4 तकनीकी निविदा

4.4.1. तकनीकी निविदा खोलना

1. विभाग निविदादाताओं अथवा उनके नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में तकनीकी निविदाऐं eproc2 पर निर्धारित विहित रिति से खोलेगा और जो भी प्रतिभागी इसमें सम्मिलित होना चाहे, वह RFP के कंडिका–2.5 में निर्दिष्ट तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित हो सकता है।

2. सभी निविदाऐं eproc2 के माध्यम से खोली जाएँगी और सभी प्रस्तुत दस्तावेजों की आवश्यक जाँच की जाएगी।

3. विभाग निविदा खुलने का रिकॉर्ड तैयार करेगा, जिसमें कम–से–कम निम्न शामिल होगा :– निविदा में भाग लेने वाले का नाम और क्या निविदा वापस ली गई है, प्रतिस्थापन किया गया है या संशोधन किया गया है और EMD की मौजूदगी या अनुपस्थिति। उपस्थित निविदा लगाने वाले के प्रतिनिधियों से उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाएगा।

4. निविदा खोलने की बैठक में भाग लेने वाले व्यक्ति के नाम का अधिकार पत्र, निविदा खोलने के दौरान निविदादाता के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4.4.2. तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन

1. केवल उन निविदादाताओं की तकनीकी बोलियों पर विचार किया जाएगा, जो तकनीकी चरण में अर्हता प्राप्त करेंगे, तथा इस खंड में दिए गए मूल्यांकन–मानदंडों के अनुसार ही उनका मूल्यांकन किया जाएगा।

2. तकनीकी मूल्यांकन समिति इस खंड के तहत निर्धारित तकनीकी योग्यता मानदंडों के आधार पर योग्य निविदादाताओं के तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी और निर्धारित मापदण्डों के आधार पर उन्हें सफल/असफल घोषित किया जाएगा। स्कोरिंग पद्धति का सारांश कंडिका 4.4.3. में दिया गया है।

3. चयन पद्धति :–गुणवत्ता–सह–लागत आधारित चयन (QCBS 70:30)।

तकनीकी बोली स्कोर को 70% (ST द्वारा दर्शाया गया) का महत्व मिलेगा और वित्तीय निविदा स्कोर को 30% (SF द्वारा दर्शाया गया) का महत्व मिलेगा।

अनुबंध प्रदान करने के प्रयोजनार्थ सफल निविदादाता के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

A. तकनीकी स्कोर (ST) की गणना

T= व्यक्तिगत निविदादाता द्वारा प्राप्त तकनीकी अंक

TH = निविदादाता द्वारा प्राप्त उच्चतम तकनीकी अंक

ST = व्यक्तिगत निविदादाता द्वारा प्राप्त तकनीकी स्कोर

निविदादाता द्वारा तकनीकी स्कोर (ST) की गणना

26/02/26 ST = 100X(T/TH) (2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित)

B. वित्तीय स्कोर (SF) की गणना

FL= निविदादाता द्वारा उद्धृत न्यूनतम कुल वित्तीय निविदा की राशि

F= व्यक्तिगत निविदादाता द्वारा उद्धृत कुल वित्तीय निविदा की राशि

SF= व्यक्तिगत निविदादाता द्वारा प्राप्त वित्तीय अंक

निविदादाता के वित्तीय स्कोर (SF) की गणना :

SF = 100x(FL / F) (2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित).

C. अंतिम समग्र स्कोर (S) की गणना

प्रत्येक निविदादाता के लिए अंतिम समग्र स्कोर (S) की गणना तकनीकी स्कोर (ST) को 70% और वित्तीय स्कोर (SF) को 30% महत्व देते हुए नीचे दिए गए फार्मूले का उपयोग करके की जाएगी।

S = (STx0.7) + (SF x0.3) (2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित)

उच्चतम अंतिम समग्र स्कोर वाले (H_1) निविदादाता को अनुबंध प्रदान किया जाएगा।

26/02/26

41

4.4.3. तकनीकी मूल्यांकन प्रारूप : तकनीकी निविदा का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन प्रारूप पर किया जायेगा।

क्र0 सं0	कार्य विवरण	पात्रता मानदंड	तकनीकी अंक
1.	कार्टोग्राफिक (मानचित्रण) कार्य	**क.** निर्दिष्ट पैमाने और भू–निर्देशांक पर शैक्षिणिक –सह–भौगोलिक एटलस हेतु निर्देशांक और अन्य आवश्यक विशेषताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रशासनिक सीमा एवं स्थानों/स्थलों के मानचित्रण (कार्टोग्राफिक) के कार्य का अनुभव।	15
		ख. जल निकायों से संबंधित सूचनाओं को मानचित्रों पर प्रदर्शित करने का अनुभव।	10
2.	द्विभाषीय पाठ्य सामग्री विकास	मानचित्रों के साथ अन्य संबंधित तथ्यों/पाठ्य –सामग्री/विषय–वस्तु के द्विभाषीय शैक्षिणिक–सह–भौगोलिक एटलस के प्रकाशन या मुद्रण का अनुभव। (एजेंसी द्वारा प्रकाशित उपरोक्त पुस्तकों की नमूना प्रतियां तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए)।	10
3.	एटलस संबंधी मानचित्रों का भारत के महासर्वेक्षक (SOI) द्वारा अनुमोदन	भारतीय सर्वेक्षण विभाग से मानचित्रों या एटलस के अनुमोदनयुक्त प्रकाशन का अनुभव (भारत के महासर्वेक्षक द्वारा अनुमोदित मानचित्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)।	10
4.	टीम वर्क (GIS Expert)	निविदा हेतु इच्छुक फर्म/प्रकाशन संस्थान में मानचित्र प्रकाशन/कार्टोग्राफिक अनुभव (GIS Expert) वाले व्यक्तियों की संख्या कम–से–कम दो (2) होनी चाहिए (CV संलग्न)।	10
5.	एटलस का डिजाईनिंग, प्रकाशन और मुद्रण का अनुभव	(a) विस्तृत विषय–वस्तु और अनुक्रमणिका के साथ शैक्षणिक–सह–भौगोलिक मानचित्रों के डिजाईनिंग, मुद्रण या प्रकाशन का 3 वर्षों का अनुभव – 5 अंक। (b) विस्तृत विषय–वस्तु और अनुक्रमणिका के साथ शैक्षणिक–सह–भौगोलिक मानचित्रों के डिजाईनिंग, मुद्रण या प्रकाशन का 10 वर्षों का अनुभव (एटलस या मानचित्र पुस्तकों की नमूना प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए) – 10 अंक।	10
6.	गजेटियर –सह–एटलस के प्रकाशन का अनुभव	बिहार सरकार के साथ गजेटियर–सह–एटलस के प्रकाशन–कार्य का सफल अनुभव या कार्य समापन का पत्र आदेश।	5
7.	आईएसबीएन	निविदादाताओं के पास आईएसबीएन (ISBN) आबंटित होना चाहिए। (केन्द्र सरकार द्वारा ISBN के आबंटन संबंधी पत्र संलग्न किया जाना चाहिए)	5
8.	क्रियान्वयन प्रस्तुति	एजेंसी द्वारा परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन की प्रस्तुति	25

26/02/26

नोट : निविदादाता द्वारा eproc2 पर प्रकाशित पुस्तकों की कवर पेज की छायाप्रति तथा तकनीकी मूल्यांकण के समय तकनीकी अंकों की गणना करने हेतु संपूर्ण पुस्तक प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी पात्रता से संबंधित प्रमाण–पत्र क्रमवार संलग्न करना होगा।

2. निविदादाताओं को ऊपर बताए गए मानदंडों के समर्थन में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने की सलाह दी जाती है, जिससे मूल्यांकन समिति निविदादाता की कार्य–क्षमता का उचित मूल्यांकन कर यथोचित अंक आंवटन कर सके। उपर्युक्त प्रत्येक मानदंड के लिए अंक मूल्यांकन समिति द्वारा दिए जाएंगे।

3. निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री के मूल्यांकन के विषय में निर्णय हेतु मूल्यांकन समिति स्वतंत्र रहेगी। तकनीकी निविदाओं के मूल्यांकन के बाद केवल उन निविदादाताओं की वित्तीय निविदाएं खोली जाएंगी, जिन्होंने तकनीकी निविदा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों।

4. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी। तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के निष्पादन हेतु QCBS पद्धति से तकनीकी एवं वित्तीय निर्धारित भारिता के अनुरूप मूल्यांकन के पश्चात् महत्तम अंक (H_1) वाले निविदादाता को ही सफल माना जायेगा। यदि महत्तम अंक (H_1) दो या दो से अधिक निविदादाताओं को बराबरी की स्थिति में हो, तो पूर्व में की गयी वाटर वॉडीज के प्रकाशन से संबंधित कार्यानुभव के आधिक्य के आधार पर कार्य आंवटित किया जायेगा।

4.4.4. स्पष्टीकरण

यदि आवश्यक समझा जाए तो विभाग निविदा लगाने वाले से किसी भी बिन्दु पर स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है। हालांकि, इससे निविदा डालने वाले को निविदा या उद्धृत मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन करने या परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं होगा। विभाग, यदि चाहे तो, निविदादाता से निविदा के स्पष्टीकरण के उद्देश्य से एक प्रस्तुति देने के लिए कह सकता है। इस प्रयोजन में होने वाले सभी खर्च, साथ ही दस्तावेजों की तैयारी और अन्य बैठकों के आयोजन में होने वाले व्यय निविदादाता द्वारा वहन किए जायेगें।

4.5 अनुबंध प्रक्रिया

4.5.1. निरस्तीकरण अधिकार:

सम्पूर्ण निविदा या उसके किसी भी भाग को विभाग द्वारा बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। विभाग किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने तथा निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इससे प्रभावित निविदादाता या निविदादाताओं के प्रति विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा। प्रभावित निविदादाता या निविदादाताओं को विभागीय कार्रवाई के आधारों के विषय में भी सूचित करने का विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।

4.5.2. स्वीकृति पत्र

निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले, विभाग सफल निविदादाता को लिखित या ईमेल द्वारा सूचित करेगा कि उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है। निविदादाता का

26/02/26

स्वीकृति पत्र अनुबंध का आधार बनेगा। सफल निविदादाता को कार्यादेश देने के पश्चात् विभाग प्रत्येक असफल निविदादाता को तुरंत सूचित करेगा।

4.5.3. अनुबंध पर हस्ताक्षर

विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले कार्यादेश पत्र में उल्लिखित समय–सीमा के भीतर सफल निविदादाता को विभाग के साथ 1000/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पर अनुबंध समझौता करना होगा।

4.5.4. निष्पादन बैंक गारंटी

1. सफल निविदादाता को कार्यादेश/अनुबंध पर हस्ताक्षर की तिथि से 30 कार्य दिवसों के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी (PBG) जमा करनी होगी।

2. PBG किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से बिना शर्त और अपरिवर्तनीय होना चाहिए, जो निविदादाता द्वारा अनुबंध के उचित निष्पादन और पूर्ति के लिए मांग पर देय हो।

3. PBG अनुबंध की मुद्रा के अनुसार होगा और बैंक गारंटी निर्धारित प्रपत्र में अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में होगा।

4. यह PBG अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर राशि होगी। निष्पादन बैंक गारंटी के संबंध में प्रीमियम, कमीशन आदि जैसे सभी शुल्क निविदादाता द्वारा ही वहन किए जाएंगे।

5. सफल निविदादाता के साथ अनुबंध पूरा होने (कार्य समापन) के बाद साठ दिनों की अवधि तक निष्पादन बैंक गारंटी वैध रहेगी। निष्पादन बैंक गारंटी में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन, अनुबंध पूरा होने के साठ दिनों के बाद, निष्पादन बैंक गारंटी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

6. विभाग द्वारा यह संतुष्टि होने पर कि अनुबंध के तहत निविदादाता द्वारा दायित्वों का उचित निष्पादन किया गया है, निष्पादन बैंक गारंटी को वापस कर दिया जायेगा। निष्पादन बैंक गारंटी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निष्पादन बैंक गारंटी का प्रारूप अनुलग्नक–VI में दिया गया है।

7. यदि निविदादाता किसी भी कारण से अनुबंध पूरा करने में असमर्थ है, तो विभाग PBG का सहारा लेगा। इस मामले में अनुबंध के तहत विभाग के किसी भी अधिकार के बावजूद और बिना किसी पूर्वाग्रह के, अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में निविदादाता की विफलता के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान के लिए PBG विभाग को मुआवजे के रूप में देय होगा। विभाग निविदादाता को 30 दिनों के भीतर ऐसे मुआवजे को प्राप्त करने के अपने अधिकार के प्रयोग के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा, जिसमें उन संविदात्मक दायित्वों का संकेत दिया जाएगा, जिसमें निविदादाता असफल रहा है।

8. विभाग को निविदादाता के विपत्रों निष्पादन बैंक गारंटी या किसी अन्य देय राशि से, असावधानी, त्रुटि, मिलीभगत, गलत निर्माण या गलत बयानी के कारण किए गए किसी भी भुगतान के बराबर मूल्य की वसूली करने का भी अधिकार होगा।

26/02/26

4.5.5 RFP/अनुबंध की शर्तों एवं नियमों से असहमति

सफल निविदादाता द्वारा RFP/अनुबंध की शर्तों व नियमों से सहमत न होना, अनुबंध को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार होगा, जिसमें विभाग अगले सर्वोत्तम निविदादाता को बातचीत के लिए आमंत्रित कर सकता है या नए RFP के लिए आह्वान कर सकता है।

अनुभाग 5: कार्य का दायरा

5.1. सारांश

जैसा कि इस RFP दस्तावेज़ के पिछले खंडो में वर्णित किया गया है कि बिहार गजेटियर्स, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना–800015 को एक विश्वसनीय, सक्षम और पेशेवर फर्म/संगठन/एजेंसियों (''सेवा प्रदाता'') की आवश्यकता है, जो बिहार के ''जल निकायों के जिला–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस'' "DISTRICT LEVEL (CIRCLE WISE) GAZETTEER-CUM-ATLAS OF WATER BODIES OF BIHAR" के मानचित्रण, डिजाइनिंग, प्रकाशन एवं मुद्रण का कार्य (अनुक्रमणिका सहित) के लिए अनुरोध के रूप में सेवाएं प्रदान करे। सेवा प्रदाता उपरोक्त प्रक्रिया को निर्दिष्ट रूप में सम्पन्न कर प्रकाशन की प्रक्रिया को सफलतापूवर्क सम्पन्न करायेगा। मुद्रण से पहले चयनित एजेंसी बिहार के ''जल निकायों के जिला–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर –सह–एटलस'' "DISTRICT LEVEL (CIRCLE WISE) GAZETTEER-CUM-ATLAS OF WATER BODIES OF BIHAR" के प्रतिरूप संस्करण (Dummy Copy) विभाग को उपलब्ध करायेगा। विभाग द्वारा प्रतिरूप संस्करण के अवलोकनोपरांत मुद्रण एवं प्रकाशन हेतु संबंधित एजेंसी को निदेशित किया जाएगा।

5.2. कार्य आवंटन

निविदा प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात, विभाग बिहार के ''जल निकायों के जिला–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस'' "DISTRICT LEVEL (CIRCLE WISE) GAZETTEER-CUM-ATLAS OF WATER BODIES OF BIHAR" के मानचित्रण, डिजाइनिंग, प्रकाशन एवं मुद्रण का कार्य (अनुक्रमणिका सहित) के लिए कार्य चयनित एजेंसी को आवंटित करेगा।

5.3. अपेक्षित कार्यों का ब्यौरा :–

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	पृष्ठों की अनुमानित संख्या
1	*2*	*3*
1	बिहार के ''जल निकायों के राज्य–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस'' "STATE LEVEL (CIRCLE WISE) GAZETTEER-CUM-ATLAS OF WATER BODIES OF BIHAR" के मानचित्रण, डिजाइनिंग, प्रकाशन एवं मुद्रण का कार्य (अनुक्रमणिका सहित) के लिए कार्य (दो भागों में) – (हिन्दी संस्करण) Hard Bond के साथ (1000 प्रति)।	**776**

26/02/26

37

2	जल निकायों के जिला–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस के मानचित्रण एवं मुद्रण का कार्य (सभी जिलों का 100–100 प्रति) - Soft Bond के साथ। इसमें जल–जीवन–हरियाली मिशन से प्राप्त निजी तलाबों के साथ Fishery Ponds से संबंधित आँकड़ों को भी शामिल किया जायेगा। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पर्यटकीय स्थलों से संबंधित सूचनाओं को भी समाहित किया जायेगा।	**प्रति जिला औसतन 28 पृष्ठ (15 से 40 पृष्ठ तक)**
3	हिन्दी में तैयार "बिहार के जल निकायों के राज्य–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस" का अंग्रेजी संस्करण में मुद्रण (अनुवाद) एवं प्रकाशन का कार्य (1000 प्रति)।	**776**
4	उक्त जल निकायों के " राज्य–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस" के पुनर्मुद्रण का कार्य (500 प्रति)।	**776**

5.4. दरों का निर्धारण :

एटलस–सह–गजेटियर (पुस्तक)/अनुक्रमणिका के पृष्ठों की संख्या में वृद्धि/कमी हो सकती है। विपत्र की राशि पृष्ठों की वास्तविक संख्या के समानुपात में (Pro Rata Basis के आधार पर) निर्धारित एवं भुगतान की जायेगी।

5.5. भुगतान की शर्तें

भुगतान नीचे दी गई तालिका के अनुसार चरणबद्ध किया जाएगा:

क्र0 सं0	घटनाएँ	भुगतान का राशि	समय सीमा
1	2	3	4
1.	आँकड़ों के संग्रहण एवं नये आँकड़ों के प्रयोग से युक्त किसी भी एक जिले के जल निकायों पर आधारित गजेटियर –सह–एटलस की प्रारूप संस्करण (Dummy Copy) विभाग में जमा करने के पश्चात्	20%	180 दिन
2.	सभी जिलों का प्रारूप संस्करण (Dummy Copy) विभाग में जमा करने के पश्चात्	30%	270 दिन
3.	प्रारूप संस्करण (Dummy Copy) के संबंधित विभाग से आँकड़ों के आलेखन (Plotting Data) के अनुमोदन के उपरांत	30%	365 दिन
4.	चयनित एजेंसी द्वारा तैयार पुस्तक राज्य–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर– सह–एटलस प्रदाय स्थल पर उपलब्ध कराने के पश्चात्	20%	540 दिन

26/02/26

* चयनित एजेंसी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप "STATE LEVEL AND DISTRICT LEVEL (CIRCLE WISE) GAZETTEER-CUM-ATLAS OF WATER BODIES OF BIHAR" बिहार के जल निकायों के राज्य–स्तरीय एवं जिला–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस के मानचित्रण, डिजाइनिंग, प्रकाशन एवं मुद्रण का कार्य (अनुक्रमणिका सहित) के लिए कार्य किया जाना है। त्रुटिपूर्ण मानचित्रण, अद्यतीकरण, डिजाइनिंग, अनुवाद एवं मुद्रण तथा असंतोषजनक प्रिंटिंग आदि के लिये आवंटित कार्य की पूरी राशि के 40% तक की कटौती प्रधान सचिव/सचिव से आदेश प्राप्त कर की जा सकती है।

5.6. परियोजना (प्रदाय) अवधि

सफल निविदादाता के साथ 18 माह की अवधि के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सेवा प्रदाता के प्रदर्शन के आधार पर और विभाग के पूर्ण विवेक पर RFP के नियमों और शर्तों के अनुरूप यदि आवश्यक हो तो अनुबंध अवधि को 06 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। विभाग द्वारा विस्तारित अवधि में भी प्रकाशित सामग्री प्रदाय नहीं करने की स्थिति में सुरक्षा निधि की राशि राजसात कर ली जायेगी।

वर्तमान परियोजना में अपेक्षित स्तर पर कार्य संपादन के आधार पर चयनित एजेन्सी को समान प्रकृति के अन्य कार्यों को भी कंडिका–7.7 में वर्णित दर के समानुपातिक रूप में (Pro Rata Basis) के आधार पर कार्य का आवंटन किया जा सकता है। साथ ही अनुबंध की वांछित अवधि को अन्य समान कार्यों हेतु अगले तीन वर्षों के लिए आपसी सहमति के आधार पर विस्तारित किया जा सकता है।

अनुभाग 6: अनुबंध की सामान्य शर्तें

6.1. कर और शुल्क

1. सफल निविदादाता सभी करों, स्टाम्प शुल्क, लाइसेंस फीस और अन्य ऐसे शुल्क आदि के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा। इनमें जीएसटी शामिल नहीं है, जिसका भुगतान विभाग द्वारा अलग से किया जाएगा।

2. यदि समझौते की तिथि के बाद, करों और शुल्क के संबंध में भारत के मौजूदा लागू कानूनों के तहत लेवी की दर में कोई बदलाव होता है, जो कि सेवाओं को प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा सीधे देय हैं, जैसे कि जीएसटी या समय–समय पर लागू होने वाला कोई अन्य कर, जो सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं के प्रदर्शन में किए गए खर्च को बढ़ाता या घटाता है, तो इस समझौते के तहत अन्यथा देय पारिश्रमिक को सफल निविदादाता के बीच पत्राचार द्वारा तदनुसार बढ़ाया या घटाया जाएगा, और इसी तरह का समायोजन किया जाएगा। हालाँकि, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद लगाए गए किसी भी नए कर या लेवी के मामले में सेवा प्रदाता ऐसे कर या लेवी के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।

6.2. अप्रत्याशित घटना

1. अप्रत्याशित घटना में प्राकृतिक और अपरिहार्य आपदा शामिल होगी जो घटनाओं के अपेक्षित क्रम को बाधित करती है।

2. ''अप्रत्याशित घटना''से तात्पर्य है कि जो निविदादाता के नियंत्रण से परे हो एवं जिसका पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं हो। ऐसी घटनाओं में युद्ध या क्रांति, आग, बाढ़, महामारी, संगरोध प्रतिबंध और माल ढुलाई प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये इन तक ही सीमित नहीं हैं, जिनका सेवा प्रदाता या विभाग पर प्रभाव पड़ेगा।

26/02/26

35

3. यदि कोई अप्रत्याशित घटना उत्पन्न होती है, तो निविदादाता को ऐसी स्थितियों और उसके कारणों के बारे में विभाग को लिखित रूप में तत्काल सूचित करना होगा। जब तक विभाग द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए, निविदादाता को अप्रत्याशित घटना द्वारा बाधित किए गए कार्य के लिए सभी उचित वैकल्पिक तरीकों की तलाश करनी होगी।

6.3 विवादों का समाधान

1. अनुबंध के अंतर्गत या उससे संबंधित उनके बीच उत्पन्न किसी भी असहमति या विवाद को विभाग और सफल निविदादाता प्रत्यक्ष अनौपचारिक बातचीत द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे।

2. इस अनुबंध/समझौते के गठन, अर्थ, सीमाओं, संचालन या प्रभाव या इसके उल्लंघन की वैधता से संबंधित अथवा इस अनुबंध के पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद या मतभेद, जिसे उपर्युक्त विधि के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है, दोनों पक्षों की आपसी सहमति से नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा। यदि पक्ष ऐसे विवाद की अधिसूचना के एक पक्ष द्वारा दूसरे को एक महीने की अवधि के भीतर मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमत नहीं हो सकते हैं, तो मध्यस्थ को बिहार गजेटियर, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित किया जाएगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू होंगे और दिया गया निर्णय अंतिम होगा और कानून के तहत उपलब्ध कानूनी उपायों के अधीन, यहां पक्षों पर बाध्यकारी होगा। इस तरह के मतभेदों को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, या इसके किसी भी संशोधन, नियम या पुनः अधिनियमन के तहत मध्यस्थता के लिए उपयुक्त माना जाएगा।

6.4. विभाग के प्रति दायित्व की सीमा

1. परिणामी समझौते के तहत सेवा प्रदाता की जबावदेही उस समय लागू तत्कालीन कानून के अनुसार निर्धारित की जाएगी। सेवा प्रदाता और उसके कर्मचारियों की ओर से किसी भी चूक के कारण होने वाली हानि या क्षति के लिए सेवा प्रदाता विभाग के प्रति उत्तरदायी होगा, जिसमें सेवा प्रदाता या उसके एजेंटों या सेवा प्रदाता के माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की ओर से सामाग्रियों में दोष या सेवाओं में कमी के कारण विभाग को होने वाली हानि शामिल है। हालाँकि, सेवा प्रदाता की ऐसी देयता समझौते के कुल मूल्य से अधिक नहीं होगी।

6.5. परिसमापन हर्जाना

1. यदि सेवा प्रदाता विभाग की आवश्यकता के अनुसार सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है, तो विभाग अनुबंध के तहत अपने अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना EMD और PBG के रूप में सुरक्षा जमा राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर लेगा। सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए किसी भी कारण की सत्यता का पता लगाने के लिए विभाग अंतिम प्राधिकार होगा।

2. अनुबंध के प्रावधानों के बावजूद, सेवा प्रदाता अपनी सुरक्षा जमा (PBG) की जब्ती या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि और उस सीमा तक, अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में देरी या अन्य विफलता अप्रत्याशित घटना का परिणाम है।

26/02/26

6.6. हित संघर्ष

1. सेवा प्रदाता को लिखित रूप में विभाग को सभी वास्तविक और संभावित हितों के टकरावों, जो सेवाओं के निष्पादन के क्रम में उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न हो सकते हैं (सेवा प्रदाता या उसकी टीम के लिए) की ससमय सूचना देनी होगी। सेवा प्रदाता विभाग के हितों को सर्वोपरि रखेगा।

6.7. नवीनीकरण अथवा हस्तान्तरण

1. निर्दिष्ट अवधि के अंत में, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना मौजूदा सेवा प्रदाता के साथ परियोजना अनुबंध को नवीनीकृत करने या इन गतिविधियों को स्वयं करने या नए सिरे से खुली निविदा के लिए जाने का निर्णय लेने का विकल्प चुन सकता है।

खंड 7: अनुलग्नक

अनुलग्नक I: निविदा–पूर्व प्रश्न भेजने का प्रारूप

7.1 निविदादाता का नाम:

प्रश्नों की सूची :

क्रम सं0	खण्ड संख्या	पृष्ठ संख्या	RFP की विषय–वस्तु के लिए स्पष्टीकरण	अनुरोधित आवश्यक परिवर्तन / स्पष्टीकरण

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम

जमा करने की तिथि :

26/02/26

अनुलग्नक II: पूर्व–योग्यता निविदा के लिए निर्देश

7.2 प्री–क्वालिफिकेशन के लिए अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की चेक–लिस्ट

(दस्तावेजों का क्रम निम्नलिखित तरीके से होगा)

क्र0 सं0	प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची	PQसंदर्भ	प्रस्तुत (Y/N)	दस्तोवजी प्रमाण (पृष्ठ सं0)
1.	संबंधित प्रेस/फर्म/प्रकाशक के निगमन एवं कानूनी स्थिति के प्रमाण पत्र की प्रति।	PQ-01		
2.	निविदा दस्तावेज के साथ MSEs के अन्तर्गत निबंधित निविदाताओं को छोड़कर अन्य निविदादाताओं को Bid Security/Earnest Money Deposit (EMD) के रूप में 200000/- (दो लाख रूपये) का बैंक ड्राफ्ट, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नाम, पटना में भुगतेय होने से संबंधित BG की प्रति।	PQ-02		
3.	नविदादाता का जी.एस.टी. निबंधित होने से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति।	PQ-03		
4.	निविदादाता को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होने का प्रमाण–पत्र की प्रति।	PQ-04		
5.	आयकर रिटर्न पत्र एवं बैंलेस सीट से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति।	PQ-05		
6.	निविदादाता के वार्षिक करोबार से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति।	PQ-06		
7.	कार्टोग्राफिक (मानचित्रण) अनुभव : निविदादाता को कार्य–निर्दिष्ट पैमाने और भू–निर्देशांक पर भौगोलिक निर्देशांक और अन्य आवश्यक विशेषताओं के साथ अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रशासनिक सीमा युक्त स्थानों/स्थलों के कार्यों को शैक्षणिक–सह–भौगोलिक एटलस में प्रदर्शित करने संबंधी अनुभव।	PQ-07		
8.	निविदादाता को शैक्षणिक–सह–भौगोलिक एटलस संबंधी पुस्तकों की छपाई (हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में) के कार्यों का 3 वर्षों का अनुभव।	PQ-08		
9.	निविदादाता का किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी या गैर सरकारी संस्थान के द्वारा काली सूची में नामित नहीं होने से संबंधित घोषणा पत्र।	PQ-09		
10.	अधिकृत हस्ताक्षर : निविदा प्रक्रिया के लिए	PQ-10		

	अधिकृत व्यक्ति को सौंपी गई मूल पावर ऑफ अटॉर्नी और अनुलग्नक IX में दिए गए प्रारूप के अनुसार निविदा प्रस्तुत चाहिए।			
11.	निविदादाता को पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित कवर पत्र की प्रति।	PQ-11		
12.	निविदादाता का विवरण साझा करने का प्रारूप (अनुलग्नक–III)	PQ-12		
13.	निविदादाता के टीम के सदस्यों का विवरण साझा करने का प्रारूप (अनुलग्नक–IV)	PQ-13		
14.	कागज का नमूना	PQ-14		

अनुलग्नक III: निविदादाता का विवरण साझा करने के लिए निर्देश

7.3. निविदादाता का विवरण साझा करने का प्रारूप

क्र0 सं0	विषय सूची	विवरण
1	निविदाकर्त्ता के फर्म का नाम	
2	निविदाकर्त्ता के फर्म का पता	
3	फर्म पंजीकरण संख्या और पंजीकरण वर्ष	
4	फर्म का प्रकार (पब्लिक लिमिटेड / प्राइवेट लिमिटेड / प्रोपराइटरशिप / सोसाईटी एक्ट के अन्तर्गत निबंधित फर्म आदि)	
5	फर्म का वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण क्रमांक (GST) नम्बर	
6	फर्म का स्थायी खाता संख्या (पैन नं0)	
7	निविदा लगाने वाली कंपनी / फर्म / एजेंसी के निदेशकों के नाम और पदनाम	
8	संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता जिसे इस RFP के संबंध में संदर्भित किया गया है।	
9	संपर्क व्यक्ति का टेलीफोन नंबर / मोबाईल नं0	
10	संपर्क व्यक्ति का ई–मेल पता	

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

मुहर

26/02/26

(31)

अनुलग्नक IV: निविदादाता के टीम के सदस्यों का विवरण साझा करने के लिए निर्देश

7.4. निविदादाता के टीम के सदस्यों का विवरण साझा करने का प्रारूप

क्रम सं.	विषय सूची	विवरण
1	फर्म का नाम	
2	फर्म का पता	
3 A	टीम के सदस्यों का नाम	
	टीम के सदस्यों का पता	
	टीम के सदस्यों का कार्यानुभव	
3 B	टीम के सदस्यों का नाम	
	टीम के सदस्यों का पता	
	टीम के सदस्यों का कार्यानुभव	

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

मुहर

26/02/26

7.5. निविदादाता द्वारा ब्लैक लिस्टेड/डिबार्ड न होने की घोषणा का प्रारूप

शपथ पत्र

(नोटरीकृत, प्रतिवादी फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।)

1. मैं, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, यह प्रमाणित करता हूँ कि अपेक्षित अनुलग्नकों में दिए गए सभी विवरण सत्य एवं सही हैं।

2. नीचे हस्ताक्षरकर्ता यह भी प्रमाणित करता है कि इस निविदा की तारीख से पहले पिछले पांच वर्षों के दौरान न तो हमारी फर्म मेसर्स .... को काली सूची में डाला गया है और न ही इसने भारत के किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कोई काम अपूर्ण नहीं रखा है और न ही ऐसे कार्यों के लिए हमें आवंटित कोई अनुबंध रद्द किया गया है।

3. नीचे हस्ताक्षरकर्ता किसी भी बैंक, व्यक्ति, फर्म या निगम को इस कथन को सत्यापित करने या मेरी (हमारी) योग्यता और सामान्य प्रतिष्ठा के संबंध में विभाग द्वारा आवश्यक और अनुरोधित प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए अधिकृत और अनुरोध करता है।

4. नीचे हस्ताक्षरकर्ता यह समझते हैं और इसे सहमत हैं कि आगे भी महत्वपूर्ण जानकारी का अनुरोध किया जा सकता है, और विभागीय परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी, अनुरोध पर ऐसी कोई भी जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत हैं।

(फर्म के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)

अधिकारी का पद

फर्म का नाम

दिनांक

26/02/26

29

अनुलग्नक V : तकनीकी प्रस्ताव के लिए दिशा–निर्देश

7.6. तकनीकी निविदा कवर पत्र

(निविदा कर्त्ता फर्म के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

दिनांक :

सेवा में,

उप सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना

विषय :– "STATE LEVEL AND DISTRICT LEVEL (CIRCLE WISE) GAZETTEER-CUM-ATLAS OF WATER BODIES OF BIHAR" बिहार के जल निकायों के राज्य–स्तरीय एवं जिला–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस के मानचित्रण, डिजाइनिंग, प्रकाशन एवं मुद्रण का कार्य (अनुक्रमणिका सहित) के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना।

संदर्भः RFP संख्याः 03 / 2025–26

प्रिय महोदय,

इस RFP तथा इसके प्रावधानों को पूर्णतः समझने के पश्चात विधिवत स्वीकृति दी जाती है, हम, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, "STATE LEVEL AND DISTRICT LEVEL (CIRCLE WISE) GAZETTEER-CUM-ATLAS OF WATER BODIES OF BIHAR" बिहार के जल निकायों के राज्य–स्तरीय एवं जिला–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस के मानचित्रण, डिजाइनिंग, प्रकाशन एवं मुद्रण का कार्य (अनुक्रमणिका सहित) के लिए RFP में उल्लिखित और अपेक्षित पेशेवर सेवाएं प्रदान करने की पेशकश करते हैं ।

हम प्रस्तुत सेवाएं या ऐसी समायोजित योजना प्रदान करने का वचन देते हैं, जिस पर बाद में हमारे और विभाग या उसके नियुक्त प्रतिनिधियों के बीच पारस्परिक सहमति हो सकती है।

यदि हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो हम अनुबंध के समुचित निष्पादन के लिए अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर राशि जो भारत में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किया गया हो, निष्पादन बैंक गारंटी, जो Online या बैंक ड्राफ्ट के रूप में होगा, प्रस्तुत करेंगे।

हम RFP दस्तावेज़ में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को बिना शर्त स्वीकार करने के लिए सहमत हैं और निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से 18 माह की अवधि के लिए इस निविदा प्रतिक्रिया का पालन करने के लिए भी सहमत हैं और यह पूरी ताकत और सदाचार के साथ हमारे लिए बाध्यकारी रहेगा। जब तक (इस अवधि के भीतर) एक औपचारिक अनुबंध तैयार और निष्पादित नहीं हो जाता, तब तक यह निविदा प्रतिक्रिया,

26/02/26

आपके पुरस्कार की अधिसूचना में इसकी लिखित स्वीकृति के साथ, हमारे और विभाग के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी।

हम पुष्टि करते हैं कि इस प्रस्ताव या इसके किसी भाग में निहित जानकारी, जिसमें इसके प्रदर्शन, अनुसूचियाँ, तथा विभाग को दिए गए या दिए जाने वाले अन्य दस्तावेज़ और प्रपत्र शामिल हैं, सत्य, सटीक और पूर्ण है। इस प्रस्ताव में सभी आवश्यक जानकारी शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें दिए गए कथन किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में विभाग को पूरी तरह या आंशिक रूप से गुमराह न करें।

हम इस तथ्य से सहमत हैं कि आप किसी भी निविदा प्रतिक्रिया को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। हम इस बात से भी सहमत हैं कि आप निविदा प्रतिक्रिया में निर्दिष्ट सभी या किसी भी उत्पाद/सेवा को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

इस बात की पुष्टि की जाती है कि मैं/हम अपनी कंपनी/निगम/फर्म/संगठन की ओर से कार्य करने के हकदार हैं तथा इस दस्तावेज के साथ–साथ ऐसे अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हैं, जिनकी इस संबंध में आवश्यकता हो सकती है।

तारीखः

(हस्ताक्षर)
(नाम)
(की हैसियत में)
निविदाकर्त्ता का मुहर/स्टाम्प,
गवाह हस्ताक्षरः
गवाह का नामः
गवाह का पताः

....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए प्रमाणपत्र

मैं ——————————, सीईओ/कंपनी सचिव ——————————, प्रमाणित करता हूं कि ——————————जिसने उपरोक्त निविदा पर हस्ताक्षर किए हैं, वह ऐसा करने के लिए अधिकृत है और कंपनी को उसके बोर्ड/शासी निकाय के प्राधिकार से बाध्य करता हूं।

दिनांकः
हस्ताक्षरः
(नाम)
(कंपनी की मुहर)

26/02/26

(27)

अनुलग्नक VI : वाणिज्यिक निविदा प्रारूप

7.7. वाणिज्यिक निविदा कवर पत्र

(निविदाकर्त्ता फर्म के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

दिनांक : ....

सेवा में,

उप सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– "STATE LEVEL AND DISTRICT LEVEL (CIRCLE WISE) GAZETTEER-CUM-ATLAS OF WATER BODIES OF BIHAR" बिहार के जल निकायों के राज्य–स्तरीय एवं जिला–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस के मानचित्रण, डिजाइनिंग, प्रकाशन एवं मुद्रण का कार्य (अनुक्रमणिका सहित) के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना।

संदर्भः RFP **संख्याः** 03/2025-26

महोदय,

आपके दिनांक–....................... के प्रस्ताव अनुरोध और हमारे तकनीकी प्रस्ताव के अनुसार बिहार के ग्राम एवं पंचायतवार जल श्रोतों से संबंधित जिलावार मानचित्र (एटलस) के डिजाइनिंग, मुद्रण एवं प्रकाशन के मुद्रण तथा अनुवाद एवं पुनर्मुद्रण की सेवाएं प्रदान करने की पेशकश करते हैं।

हमारा वित्तीय प्रस्ताव निम्नानुसार है:

I. बिहार के राज्य–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस की दर :–

क्र0 सं0	कार्यो का नाम	पृष्ठों (फोटोग्राफ्स एवं मैप्स सहित) की संख्या	GST रहित दर (1000 पुस्तक के लिये)	GST सहित कुल दर	अभ्युक्ति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	बिहार के जल निकायों के राज्य–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस (हिन्दी में) के मानचित्रण, डिजाइनिंग, प्रकाशन एवं मुद्रण का कार्य अनुक्रमणिका सहित – (दो भागों में) Hard Bond के साथ ।	776	...... रूपया में	...... रूपया में	GST की दर GST नियमावली के अनुसार निर्धारित होगी।
2.	कुल निविदा राशि		...... रूपया में	...... रूपया में	

26/02/26

26

II. जिला–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस की दर :–

क्र0 सं0	कार्यो का नाम	पृष्ठों (फोटोग्राफ्स एवं मैप्स सहित) की संख्या	दर प्रति पृष्ठ के लिये (GST रहित)	दर प्रति पृष्ठ (GST सहित)	अभ्युक्ति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	जल निकायों से संबंधित राज्य के सभी अंचलों का अंचलवार मानचित्रों के साथ जिला–स्तरीय (अंचलवार)गजेटियर–सह–एटलस (हिन्दी में) के मानचित्रण एवं मुद्रण का कार्य अनुक्रमणिका सहित (सभी जिलों का 100–100 प्रति)Soft Bond के साथ ।	**प्रति जिला औसतन 28 पृष्ठ लगभग (15 से 40 पृष्ठ तक)**	.... रूपया में	.... रूपया में	GST की दर GST नियमावली के अनुसार निर्धारित होगी।

III. बिहार के राज्य–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस के अंग्रेजी संस्करण में मुद्रण (अनुवाद सहित) की दर :–

क्र0 सं0	कार्य विवरण	पृष्ठों की संख्या	GST रहित दर (1000 पुस्तक के लिये)	GST सहित कुल दर	अभ्युक्ति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	हिन्दी संस्करण में तैयार ''बिहार के जल निकायों के राज्य–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस'' "STATE LEVEL (CIRCLE WISE) GAZETTEER-CUM-ATLAS OF WATER BODIES OF BIHAR" के मानचित्रण, डिजाइनिंग, प्रकाशन एवं मुद्रण का कार्य (अनुक्रमणिका सहित) के लिए अनुवाद के साथ प्रकाशन से संबंधित कार्य (अंग्रेजी संस्करण) – (दो भागों में) Hard Bond के साथ।	776	.... रूपया में	.... रूपया में	GST की दर GST नियमावली के अनुसार निर्धारित होगी।

26/02/26

25

IV. बिहार के राज्य–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस के पुनर्मुद्रण की दरः–

क्र0 सं0	कार्य विवरण	पृष्ठों की संख्या	GST रहित दर (500 पुस्तक के लिये)	GST सहित कुल दर	अभ्युक्ति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	राज्य–स्तरीय (अंचलवार) गजेटियर–सह–एटलस के पुनर्मुद्रण एवं पुनः प्रकाशन की दर	776	.... रूपया में	.... रूपया में	GST की दर GST नियमावली के अनुसार निर्धारित होगी।

<u>नियम एवं शर्तें :-</u>

1. उपरोक्त उद्धृत शुल्क में जीएसटी को छोड़कर सभी शुल्क, लेवी, कर प्रचलित दरों के अनुसार शामिल हैं।
2. उद्धृत दरें सम्पूर्ण अनुबंध अवधि के लिए समान रहेंगी। पुस्तकों में पृष्ठों की वास्तविक संख्या के आधार पर समानुपातिक रूप से (Pro Rata basis के आधार पर) विपत्रों का भुगतान किया जायेगा।
3. उपरोक्त किसी भी कार्य के लिए उद्धृत मूल्य शून्य होने पर निविदा स्वतः अस्वीकृत कर दी जाएगी।
4. उपर्युक्त उद्धृत मूल्य का भुगतान RFP की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। हम संदर्भित निविदा प्रपत्र में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों से सहमत हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हमने इस संबंध में कोई विचलन नहीं किया है।

अधिकृत हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनामः
फर्म का नामः
पता :

26/02/26

अनुलग्नक VII BG के रूप में EMD का प्रारूप

7.8 बयाना राशि जमा (EMD) के लिए बैंक गारंटी प्रारूप:

(कानून के अंतर्गत अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर मूल रूप में उपलब्ध कराया जाना है तथा बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित होना चाहिए)

निविदा संदर्भ –03 / 2025–26

तारीखः

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

यह गारंटी विलेख .... पर .... (बैंक का नाम) द्वारा निष्पादित किया गया है, जिसका प्रधान / पंजीकृत कार्यालय .... में है, तथा इसकी एक शाखा ....में है।

पटना (जिसे इसके बाद "गारंटर" कहा जाएगा) जिसकी अभिव्यक्ति में, जब तक कि वह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे;

डीडीओ–सह–अवर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना, जिसका कार्यालय पटना में है (जिसे इसके बाद "..........................." कहा जाएगा) के पक्ष में, जिसमें जब तक वह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे;

जबकि................................(प्रासंगिक अधिनियम / कानून का नाम जिसके तहत निगमित हुई) के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय यहां पर है;__________________________

(जिसे आगे निविदादाता कहा जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति में, जब तक कि वह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) ने निविदा के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है।

"____"निविदा आमंत्रण दस्तावेज़ संख्या–____________________________बिहार सरकार (जिसे आगे परियोजना कहा जाएगा) द्वारा जारी____________ दिनांक–____________का पत्र।

जबकि निविदा आमंत्रण दस्तावेज संख्या____ के संदर्भ में दिनांक–_______________ (इसके बाद निविदा दस्तावेज के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी___________________, निविदादाता को INR की राशि के लिए बिना शर्त और अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

26/02/26

(INR ____________________) बयाना राशि के रूप में जमा किया है और गारंटर निविदादाता के अनुरोध पर निम्नलिखित प्रस्तुतियों के साथ ऐसी गारंटी प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है:

अब यह विलेख प्रमाणित करता है कि परिसर के प्रतिफल में, हम,__________________________बैंक यहां निम्नलिखित रूप से सहमत होकर, घोषणा करके, वचनबद्ध होकर और गारंटी देकर:

1. हम प्राथमिक दायित्वकर्ता के रूप में इस प्रकार अपरिवर्तनीय रूप से, बिना शर्त और बिना किसी आरक्षण के उक्त निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तों और नियमों की उचित और निष्ठापूर्वक पूर्ति और अनुपालन की गारंटी देते हैं और बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, सहारा, प्रतियोगिता या विरोध के और निविदादाता को संदर्भित किए बिना, बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, सहारा, प्रतियोगिता या विरोध के बिना INR (केवल INR) से अधिक राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं, यदि निविदादाता निविदा में निहित सभी या किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने और पूरा करने में विफल रहता है। यह बताते हुए कि निविदादाता निविदा में निहित नियमों और शर्तों के उचित और निष्ठापूर्वक पूर्ति और अनुपालन में चूक कर रहा है, बयाना राशि जमा और इस गारंटी के तहत देय और भुगतान योग्य राशि की जब्ती के संबंध में बैंक पर अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी होगा।

2. (प्रस्ताव की देय तिथि) से 540 दिनों (18 माह) की अवधि तक पूर्ण रूप से लागू रहेगी।

3. उपर्युक्त खंड 1 के अधीन, इस गारंटी के अंतर्गत भुगतान के लिए कोई भी दावा लिखित घोषणा के रूप में होगा।

4. हम__________ बैंक इस बात पर भी सहमत हैं कि __________हम इस बात के निर्धारण के संबंध में एकमात्र निर्णायक होंगे कि निविदादाता ने निविदा में निहित नियमों और शर्तों का उचित और निष्ठापूर्वक पालन करने में चूक की है या नहीं और इस संबंध में हमारा निर्णय अंतिम__________ और __________हमारे लिए बाध्यकारी होगा, भले ही__________और उक्त निविदादाता के बीच कोई मतभेद हो और/या ______________और निविदादाता के बीच कोई विवाद किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थ या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित हो।

5. इस गारंटी के तहत बैंक के दायित्व को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना समय-समय पर उक्त निविदा दस्तावेज के किसी भी अन्य नियम और शर्तों में परिवर्तन करने या निविदा प्रक्रिया को पूरा करने की समय-सीमा या उक्त निविदादाता द्वारा उक्त निविदा दस्तावेज में निहित नियमों और शर्तों को पूरा करने और उनका अनुपालन करने की अवधि बढ़ाने या निविदादाता के खिलाफ इसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी भी शक्ति को किसी भी समय और समय-समय पर स्थगित करने और उक्त निविदा दस्तावेज या उपलब्ध प्रतिभूतियों में निहित किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने या लागू करने से रोकने की पूरी____________स्वतंत्रता होगी और बैंक इन प्रस्तुतियों के तहत

स्वतंत्रता के किसी भी प्रयोग से या उक्त निविदादाता को समय दिए जाने के कारण या निविदादाता की ओर________________से किसी अन्य रोक, कार्य या चूक या किसी अन्य मामले या चीज से अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा, जो कि जमानत से संबंधित कानून के तहत इस प्रावधान के बिना बैंक को अपने दायित्व से मुक्त करने का प्रभाव डालती है।

6. अनुरोध, मांग या अन्यथा के रूप में कोई भी नोटिस बैंक को कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा पूर्वोक्त पते पर भेजा जाएगा।

7. हम आपके द्वारा हम पर दावा नोटिस प्राप्त होने पर भुगतान करने का वचन देते हैं, जो ________(बैंक का नाम तथा शाखा का पता) को संबोधित होगा तथा हमारी उपरोक्त शाखा में पहुंचाया जाएगा, जिसे उक्त दावा नोटिस प्राप्त करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत माना जाएगा।

8. बैंक के विरुद्ध कार्यवाही करने से पहले उक्त निविदादाता के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होगा और इसमें निहित गारंटी बैंक के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगी, भले ही ________उक्त निविदादाता से प्राप्त की गई या प्राप्त की गई कोई अन्य सुरक्षा उस समय बकाया हो या वसूल न की गई हो जब इसके अंतर्गत बैंक के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

9. हम________बैंक अंत में लिखित रूप में पूर्व सहमति के बिना इस गारंटी को इसके प्रचलन के दौरान रद्द नहीं करने का वचन देते हैं __________और सहमत हैं कि बैंक या उक्त निविदादाता के संविधान में कोई भी परिवर्तन हमारे दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा।

10. बैंक घोषणा करता है कि उसके पास यह गारंटी जारी करने की शक्ति है और नीचे हस्ताक्षरकर्ता को बैंक की ओर से ऐसा करने की पूरी शक्ति है।

दिनांक_______________2026

जारीकर्ता/प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

कॉर्पोरेट मुहर

____

बैंक के लिए

नोट: इस बैंक गारंटी के साथ बैंक द्वारा एक पुष्टि पत्र भी दिया जाना है।

26/02/26

(21)

अनुलग्नक VIII– निष्पादन बैंक गारंटी (PBG)

7.9: निष्पादन बैंक गारंटी का प्रारूप

संदर्भ : ______________ दिनांक : ____________

बैंक गारंटी संख्या :

सेवा में,

____

____

____

ईमेल आईडी: ______________संदर्भ:

महोदय,

निष्पादन बैंक गारंटी के लिए "जबकि मेसर्स (निविदादाता का नाम), जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी है, जिसका पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय (निविदादाता का पता) में है, (जिसे इसके बाद "हमारे घटक" के रूप में संदर्भित किया गया है, जो अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ या अर्थ से बाहर नहीं रखा गया हो या प्रतिकूल न हो, इसमें उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं), एक अनुबंध में प्रवेश करने के लिए सहमत हुए दिनांक ...... (इसके बाद, "अनुबंध" के रूप में संदर्भित) आपके साथ " ____________" के लिए, उक्त अनुबंध में.

हम इस तथ्य से अवगत हैं कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार, मेसर्स (निविदादाता का नाम) को कुल अनुबंध मूल्य के 5% की राशि के लिए आपके पक्ष में बिना शर्त और अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करना आवश्यक है और अनुबंध के अनुसार हमारे घटक द्वारा उचित प्रदर्शन की गारंटी देना आवश्यक है और इसके द्वारा हम इस बैंक गारंटी के तहत देय और भुगतान योग्य किसी भी और सभी राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हैं और हमारे घटक द्वारा उक्त अनुबंध के उल्लंघन/चूक के खिलाफ सुरक्षा के रूप में भुगतान करने का वचन देते हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारा ग्राहक हमारा मूल्यवान ग्राहक है और उसने आपके साथ उक्त अनुबंध किया है, हम (बैंक का नाम और पता) यह निष्पादन बैंक गारंटी जारी करने के लिए सहमत हुए हैं।

इसलिए, हम (बैंक का नाम और पता) बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से आपको निम्नलिखित गारंटी देते हैं:

यदि हमारे घटक द्वारा उक्त अनुबंध का कोई उल्लंघन/चूक की जाती है और जिसे उसके द्वारा ठीक नहीं किया गया है, तो हम मांग किए जाने पर आपको बिना किसी आपत्ति के, कुल अनुबंध मूल्य के 5% से अधिक राशि अर्थात <शब्दों में> का भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, जैसा कि उक्त अनुबंध में निहित है, हम इस बात से सहमत हैं कि हमारे घटक द्वारा पूर्वोक्त अनुसार कोई चूक/उल्लंघन किया गया है या नहीं, इस संबंध में आपके निर्णय तथा इसके कारणों से आप जिस राशि या राशियों के हकदार हैं, उक्त अनुबंध की शर्तों और नियमों के अधीन, हमारे लिए बाध्यकारी होंगे और हम आपसे इस निष्पादन बैंक गारंटी के तहत आपके दावे या दावों को स्थापित करने के लिए कहने के हकदार नहीं होंगे, लेकिन बिना किसी विरोध या आपत्ति के आपकी मांग पर उसका तुरंत भुगतान कर देंगे।

26/02/26

यह निष्पादन बैंक गारंटी, उक्त अनुबंध में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन, अनुबंध अवधि पूरी होने के 60 दिनों बाद तक जारी रहेगी तथा वैध रहेगी।

हम उक्त अनुबंध की तिथि से लेकर अनुबंध अवधि पूरी होने के 60 दिन बाद तक किसी भी समय उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं।

हम इस बात पर भी सहमत हैं कि उक्त अनुबंध की समाप्ति, केवल हमारे घटक के कारण, वस्तुतः आपको इस गारंटी के अंतर्गत उपरोक्त राशि के भुगतान की मांग करने का अधिकार देती है और हम बिना किसी आपत्ति के उसका सम्मान करेंगे।

हम यहां स्पष्ट रूप से अपने सभी अधिकारों का त्याग करते हैं: विभाग के खिलाफ कानूनी उपायों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता और इस पर भरोसा करके की गई या छोड़ी गई किसी भी कार्रवाई की स्वीकृति की सूचना के लिए, अनुबंध के तहत किसी भी चूक और किसी भी प्रकार की नाराजगी, मांग, विरोध या किसी भी प्रकार की सूचना के लिए।

हम, गारंटर, प्राथमिक दायित्वकर्ता के रूप में, न कि केवल जमानतदार या वसूली के गारंटर के रूप में, अपरिवर्तनीय और बिना शर्त अपनी गारंटी देते हैं और आपके द्वारा दावा की गई किसी भी राशि (एक या अधिक दावों द्वारा) का भुगतान करने का वचन देते हैं, लेकिन इस गारंटी के जारी होने की तारीख से लेकर अवधि के दौरान पूर्वोक्त राशि से अधिक नहीं।

हम विशेष रूप से पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत भुगतान के लिए आपकी लिखित मांग के अलावा किसी भी मांग के संबंध में अनुबंध के तहत आपको देय किसी भी राशि का कोई सबूत हमें प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

मांग के माध्यम से या अन्यथा किसी भी नोटिस को विशेष कूरियर, टेलेक्स, फैक्स, पंजीकृत डाक या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा हमारे पते पर भेजा जा सकता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है और यदि डाक द्वारा भेजा जाता है, तो इसे पोस्ट किए जाने के 48 घंटे बाद हमें दिया गया माना जाएगा। यदि किसी भी कारण से इस गारंटी को बढ़ाना आवश्यक है, तो हम आपको सूचित करते हुए हमारे घटक के अनुरोध पर इस गारंटी की अवधि बढ़ाने का वचन देते हैं।

यह निष्पादन बैंक गारंटी हमारे घटक के संविधान में किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी, न ही यह हमारे संविधान में किसी भी परिवर्तन या उसके किसी समामेलन या अवशोषण या पुनर्निर्माण या समापन से प्रभावित होगी, लेकिन यह आपके लाभ के लिए सुनिश्चित होगी और इस गारंटी के जारी होने की तारीख से लेकर अवधि के दौरान आपके लिए उपलब्ध और आपके द्वारा लागू की जा सकेगी।

ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, इस निष्पादन गारंटी के अंतर्गत हमारा दायित्व अनुबंध मूल्य के 5% तक सीमित है, तथा इसमें निहित नियमों व शर्तों के अधीन तब तक बना रहेगा, जब तक कि इस गारंटी की समाप्ति की पूर्वोक्त तिथि को या उससे पहले हमारे विरुद्ध कोई लिखित दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

हम एतद् द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारे पास हमारे बैंक के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन/संविधान के तहत आपके पक्ष में यह गारंटी जारी करने की शक्ति है और नीचे हस्ताक्षरकर्ता शक्तियों के स्पष्ट प्रत्यायोजन द्वारा प्राधिकार का प्राप्तकर्ता है और, बैंक

26/02/26

द्वारा आपके पक्ष में जारी किए गए पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत इस गारंटी को निष्पादित करने की पूरी शक्ति रखता है।

हम इस बात पर भी सहमत हैं कि हमारे घटक के विरुद्ध आपके किसी भी अधिकार का प्रयोग, लागू करने या लागू करने से मना करने या किसी अन्य छूट या सुविधा के लिए, जो उक्त अनुबंध के अनुसार संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए हमारे घटक को दी गई है, इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व को समाप्त नहीं करेगा तथा आपके और हमारे घटक के बीच संपूर्ण अवधि के दौरान किए गए किसी भी समझौते के बावजूद, हमारे विरुद्ध आपका अधिकार पूर्ण रूप से लागू रहेगा।

यहाँ निहित किसी भी बात के बावजूद इस निष्पादन बैंक गारंटी के तहत हमारी देयता कुल अनुबंध मूल्य के 5% से अधिक नहीं होगी। यह निष्पादन बैंक गारंटी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि से अनुबंध अवधि की समाप्ति के 60 दिनों के बाद तक ही वैध होगी; और हम इस प्रदर्शन बैंक गारंटी के तहत गारंटीकृत राशि या उसके हिस्से का भुगतान केवल तभी करने के लिए उत्तरदायी हैं, जब हमें अनुबंध अवधि के पूरा होने के 60 दिनों के बाद या उससे पहले लिखित दावा या मांग प्राप्त हो।

इसके अंतर्गत किया गया कोई भी भुगतान करों, शुल्कों, आयातों, प्रभारों, शुल्कों, फीसों, कटौतियों या किसी भी प्रकार के अधिरोपण के कारण कटौती से मुक्त और स्पष्ट होगा।

यह निष्पादन बैंक गारंटी इसकी समाप्ति पर बैंक को वापस करनी होगी। यदि बैंक को उपर्युक्त अवधि के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त नहीं होती है, तो इसमें निहित नियमों और शर्तों के अधीन, इसे स्वतः ही रद्द माना जाएगा।

यह गारंटी भारतीय कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्या की जाएगी और हम इस गारंटी या आपके द्वारा लाए गए विषय–वस्तु से उत्पन्न किसी भी वाद कार्रवाई या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए भारत में न्याय की अदालतों के अनन्य क्षेत्राधिकार को प्रस्तुत करते हैं, जिसे ऐसी गिनती में या उसके द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।

दिनांक…………………..…. 2026.

आपका विश्वासी,

बैंक की ओर से, (हस्ताक्षर)

पदनाम

(बैंक का पता)

नोट :

i) इस गारंटी पर सुरक्षा बांड के रूप में स्टाम्प शुल्क लगेगा।

ii) बैंक की ओर से गारंटी निष्पादित करने के लिए अधिकारी/अधिकारियों को दिए गए अपेक्षित प्राधिकार की विधिवत् प्रमाणित प्रति, सत्यापन के लिए इस गारंटी के साथ संलग्न की जानी चाहिए तथा मामले में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उसे रखा जाना चाहिए।

26/02/26

अनुलग्नक IX–पावर ऑफ अटॉर्नी

इन उपहारों से सभी लोग जानते हैं, हम ____________(निविदादाता का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) यहां श्री/श्रीमती .... को गठित, नियुक्त और अधिकृत करते हैं।

(पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत है और निम्न पद पर है ____________________

प्रस्ताव के संबंध में या उसके लिए प्रासंगिक हों ____________________

इसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें प्रस्तुत करना तथा विभाग को सूचना/प्रतिक्रिया प्रदान करना, विभाग के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना, तथा उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव से संबंधित सभी मामलों में विभाग के साथ सामान्यतः व्यवहार करना शामिल है।

हम इस पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत हमारे अटॉर्नी द्वारा विधिपूर्वक किए गए सभी कार्यों, कर्मों और चीजों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और हमारे पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कार्य, कर्म और चीजें हमेशा हमारे द्वारा की गई मानी जाएंगी।

के लिए ________________________

नामः

पदनामः

तारीखः

समयः

मुहरः

व्यवसायिक पताः

स्वीकृत,

(हस्ताक्षर) (वकील का नाम, पदनाम और पता)

टिप्पणीः

1.1 पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन का तरीका लागू कानून और निष्पादकों के चार्टर दस्तावेजों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया (यदि कोई हो) के अनुसार होना चाहिए और जब ऐसा अपेक्षित हो तो इसे अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार सामान्य मुहर के तहत लगाया जाना चाहिए।

1.2 पावर ऑफ अटॉर्नी लागू कानून के अनुसार उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर प्रदान की जाएगी।

1.3 पावर ऑफ अटॉर्नी को निविदादाता के निदेशक मंडल के विधिवत् प्राधिकृत प्रस्ताव द्वारा समर्थित होना चाहिए, जो निविदादाता की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत करता हो।

26/02/26

(18)

अस्वीकरण

इस निविदा में निहित या बाद में निविदादाताओं को प्रदान की गई जानकारी, चाहे मौखिक रूप से या दस्तावेजी या किसी अन्य रूप में विभाग या उसके किसी कर्मचारी या सलाहकार द्वारा या उसकी ओर से, निविदादाताओं को इस निविदा में निर्धारित नियमों और शर्तों और ऐसे अन्य नियमों और शर्तों पर प्रदान की जाती है जिनके अधीन ऐसी जानकारी प्रदान की जाती है। यह निविदा विभाग द्वारा जारी की जाती है।

यह निविदा कोई समझौता नहीं है और न ही यह विभाग द्वारा संभावित निविदादाताओं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई प्रस्ताव या आमंत्रण है। इस निविदा का उद्देश्य इच्छुक पक्षों को ऐसी जानकारी प्रदान करना है जो इस निविदा के अनुसार उनकी निविदा तैयार करने में उनके लिए उपयोगी हो सकती है। इस निविदा में कथन शामिल हैं, जो परियोजना के संबंध में विभाग द्वारा की गई विभिन्न धारणाओं और आकलनों को दर्शाते हैं। ऐसी धारणाएँ, आकलन और कथन प्रत्येक आवेदक को आवश्यक सभी जानकारी रखने का दावा नहीं करते हैं। यह निविदा सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है, और विभाग, उसके कर्मचारियों या सलाहकारों के लिए इस निविदा को पढ़ने या उपयोग करने वाले प्रत्येक पक्ष के उद्देश्यों, तकनीकी विशेषज्ञता और विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना संभव नहीं है।

इस निविदा में निहित धारणाएं, आकलन, कथन और जानकारी पूर्ण, सटीक, पर्याप्त या सही नहीं हो सकती हैं। इसलिए, प्रत्येक आवेदक को अपनी स्वयं की जांच और विश्लेषण करना चाहिए और इस निविदा में निहित धारणाओं, आकलन और जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और उचित स्रोतों से स्वतंत्र सलाह लेनी चाहिए। निविदादाताओं को इस निविदा में दी गई जानकारी कई तरह के मामलों पर है, जिनमें से कुछ कानून की व्याख्या पर निर्भर करती है।

दी गई जानकारी वैधानिक आवश्यकताओं का संपूर्ण विवरण नहीं है और इसे कानून का पूर्ण या आधिकारिक कथन नहीं माना जाना चाहिए। विभाग यहाँ व्यक्त कानून पर किसी भी व्याख्या या राय के लिए सटीकता या अन्यथा के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। विभाग, इसके कर्मचारी और सलाहकार किसी भी व्यक्ति, जिसमें कोई भी आवेदक शामिल है, के प्रति किसी भी कानूनों या नियमों या विनियमों या अपकार प्रतिपूर्ति या अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांतों या अन्यथा के तहत किसी भी नुकसान, क्षति, लागत या व्यय के लिए कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं और न ही उत्तरदायी होंगे जो इस निविदा में निहित किसी भी चीज़ या अन्यथा के कारण उत्पन्न हो सकते हैं या उठाए जा सकते हैं, जिसमें निविदा की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता या पूर्णता और इसमें निहित कोई भी मूल्यांकन, धारणा, कथन या जानकारी या इस निविदा का हिस्सा माना जाता है या इस चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह से उत्पन्न होता है। विभाग किसी भी प्रकार की कोई देयता स्वीकार नहीं करता है, चाहे वह लापरवाही से उत्पन्न हो या अन्यथा, लेकिन इस निविदा में निहित कथनों पर किसी भी

26/02/26

निविदादाता के भरोसे से उत्पन्न होने वाली किसी भी तरह की देयता निविदा में निहित सूचना, मूल्यांकन या धारणा को अद्यतन, संशोधित या अनुपूरित कर सकता है।

इस निविदा के जारी होने का तात्पर्य यह नहीं है कि विभाग परियोजना के लिए किसी निविदादाता या निविदादाताओं का चयन करने के लिए बाध्य है, जैसा भी मामला हो, और विभाग बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

निविदादाता को अपने प्रस्ताव की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित सभी लागतों को स्वयं वहन करना होगा, जिसमें तैयारी, प्रतिलिपि बनाना, डाक, डिलीवरी शुल्क, किसी भी प्रदर्शन या प्रस्तुति से जुड़े खर्च शामिल हैं, जो विभाग द्वारा आवश्यक हो सकते हैं या उसके प्रस्ताव के संबंध में या उससे संबंधित कोई अन्य लागत। ऐसी सभी लागतें और खर्च निविदादाता के पास रहेंगे और विभाग किसी भी तरह से इसके लिए या निविदादाता द्वारा निविदा की तैयारी या प्रस्तुति में किए गए किसी भी अन्य खर्च या अन्य खर्चों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, भले ही चयन प्रक्रिया का संचालन या परिणाम कुछ भी हो।

26/02/26

(15)

संक्षेपाक्षर

TERMS	DESCRITION
BEC	Bid Evaluation Committee (निविदा मूल्यांकन समिति)
DEPARTMENT	Revenue and Land Reforms Department, Bihar, Patna (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना)
CV	Curriculum Vitae (बायोडाटा)
EMD	Earnest Money Deposit (बयाना राशि जमा)
GoB	Government of Bihar (बिहार सरकार)
QCBS	Quality and Cost Based System (गुणवत्ता एवं लागत आधारित प्रणाली)
LOI	Letter of Intent (आशय का पत्र)
NIT	Notice Inviting Tender (निविदा आमंत्रण सूचना)
PBG	Performance Bank Guarantee (प्रदर्शन बैंक गारंटी)
RFP	Request for Proposal (प्रस्ताव के लिए अनुरोध)
SLA	Service Level Agreement (सेवा स्तर समझौता)
SP	Service Provider (सेवा प्रदाता)
LLP	Limited Libility Partnership (सीमित देयता भागीदारी)
ATTO	Annual Total Tern Over (वार्षिक कुल कारोबार)
TQ	Technical Query (तकनीकी प्रश्न)

26/02/26

परिभाषाएं

क्र0 सं0	शब्दावली	परिभाषा
1.	समझौता / अनुबंध	विभाग और एजेंसी के बीच हुआ समझौता, जिसमें सभी अनुलग्नक, अनुसूचियां और संदर्भ, जिसमें सभी दस्तावेज और सभी संशोधित शुद्धिपत्र भी शामिल है।
2.	निविदादाता / निविदाकर्त्ता	निविदा में "निविदादाता" शब्द का प्रयोग का तात्पर्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली एकल एजेंसी से है।
3.	निविदा / प्रस्ताव / बोली	निविदादाता द्वारा RFP / अनुबंध के तहत क्लाइंट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहमत मूल्य पर प्रस्ताव। यह एक व्यापक प्रस्ताव होगा। निविदा के प्रति तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिक्रिया।
4.	गोपनीय जानकारी / सूचना	सभी सूचनाएं (चाहे लिखित, मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य प्रारूप में) जो तकनीकी, वित्तीय और व्यावसायिक मामलों, डीलरों, आपूर्तिकर्ताओं, उत्पादों, विकास, संचालन, प्रक्रियाओं, डेटा, व्यापार रहस्यों, डिजाइन अधिकारों, तकनीकी जानकारी, योजनाओं, बजट और प्रत्येक हितधारक और उसके सहयोगियों के कार्मिकों से संबंधित हैं, जो इस समझौते के दौरान या इसके संबंध में दूसरे पक्ष को बताई गई हैं या उसके द्वारा अन्यथा सीखी गई हैं (जिसमें बिना किसी सीमा के बातचीत, स्थान के दौरान प्राप्त ऐसी जानकारी शामिल है) इस समझौते के संबंध में दौरे और बैठकें)।
5.	निष्पादन सुरक्षा	खरीददार / ग्राहक के पक्ष में निविदादाता द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रदान की गई बिना शर्त गारंटी।
6.	सेवा स्तर समझौता (एस एल ए)	सेवा का स्तर और अन्य प्रदर्शन मानदंड जो निविदादाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू होंगे; इस मास्टर सेवा के भाग के रूप में निष्पादित प्रदर्शन और रखरखाव एस एल ए समझौता।
7.	सेवा प्रदाता (एस पी)	वह निविदादाता जो निविदा प्रक्रिया में योग्य एवं सफल हो और जिसे अनुबंध प्रदान किया जाएगा, उसे सेवा प्रदाता कहा जाएगा।
8.	आर एफ पी / निविदा दस्तावेज़	लिखित निवेदन जिसमें निविदादाता को उन उत्पादों / सेवाओं की आवश्यकताओं के बारे में बताया जाता है, जिन्हें विभाग खरीदना और लागू करना चाहता है।
9.	वितरण योग्य	अनुबंध के अनुसरण में निविदादाता द्वारा वितरित किए जाने वाले उत्पाद, अवसंरचना और सेवाएं, जिन्हें अधिक विस्तार से RFP में परिभाषित किया गया है।

26/02/26